40

महान स्वाधीनता सैनानी एवं पत्रकार

लाला देशबन्धु गुप्ता

लेखक-प्रो० पी०पी० सिंगला

अग्रोहा विकास ट्रस्ट

महान स्वाधीनता सेनानी एवं पत्रकार

लाला देशबन्धु गुप्ता

-लेखक-

प्रो. पी.पी. सिंगला

अग्रोहा विकास ट्रस्ट

अग्रोहाधाम

अग्रोहा (हिसार) हरियाणा-125047

प्रकाशक:
अग्रोहा विकास ट्रस्ट
अग्रोहाधाम
अग्रोहा (हरियाणा) 125047

*

प्रथम संस्करण 1997

*

मूल्य-10.00

*

मुद्रक:
पूनम प्रिंटस
दिल्ली-35

दो शब्द

पर्याप्त समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि अग्रवाल समाज के जिन महापुरुषों ने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जन-आन्दोलन में नेतृत्व प्रदान किया था उन महापुरुषों को समाज भूलता जा रहा है।

'अग्रोहा विकास ट्रस्ट' की प्रचार-प्रसार समिति ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया और इस नतीजे पर पहुँची कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन बन्धुओं ने आगे बढ़कर काम करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके सम्बन्ध में पुस्तकें प्रकाशित की जाएं।

'अग्र-विभूति परिचय-माला' के अन्तर्गत लाला लाजपतराय, डॉ. राममनोहर लोहिया, ला० देशबन्धु गुप्त, श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार, सेठ जमनालाल बजाज एवं डॉ. भगवानदास की जीवनियां प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है।

इस परिचय माला के अन्तर्गत शेर-ए-पंजाब लाला लाजपतराय, प्रख्यात आध्यात्मिक विभूति गीता प्रेस (गोरखपुर) तथा 'कल्याण' के संस्थापक 'भाई' श्री हनुमानप्रसाद जी पोद्दार तथा डॉ. राममनोहर लोहिया के बाद महान स्वाधीनता सेनानी तथा पत्रकार ला० देशबन्धु गुप्ता की जीवनी प्रकाशित करते हुए हमें अपार गर्व का अनुभव हो रहा है। इसके लेखक पानीपत निवासी शिक्षाविद प्रो. पी.पी.सिंगला है। आशा है पाठक श्री देशबन्धु जी के जीवन से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेगें।

नई दिल्ली
1 दिसम्बर, 1997

(बालेश्वर अग्रवाल)
महामंत्री
अग्रोहा विकास ट्रस्ट

आभार

महान् राष्ट्रपुरुष लाला देशबंधु गुप्ता का गौरवपूर्ण जीवन-चरित्र पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हुये मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

गत वर्ष अग्रोहा विकास ट्रस्ट के महामंत्री माननीय श्री बालेश्वर अग्रवाल से आदेश मिला कि मुझे यह कार्य करना है। मुझे अजीब प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हुई। चाव और लगन से काम शुरु किया। परन्तु शीघ्र ही आभास होने लगा कि देश की इस महान विभूति के जीवन तथा उपलब्धियों पर कोई ग्रंथ लघु पुस्तिका भी हिन्दी या अंग्रेजी में अभी तक प्रकाशित नहीं हुई; तथ्य कहाँ से संजोये जायें।

पुस्तक-रचना के निमित्त शोधकर्त्ता की तरह साहस व परिश्रम से दिल्ली के पुस्तकालय देखे। स्वाधीनता आन्दोलन पर लिखे गये ग्रंथों, पुरानी पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन किया।

लाला जी के सुपुत्र श्री विश्वबंधु गुप्ता इस और श्री रमेश बंधु के सहयोग व रुचि के बिना कार्य का सम्पन्न होना सम्भव नहीं था। उन्होनें कुछ पत्र, विशेष कागज और 'तेज' अखबार की फाइलें दिखाकर अनुग्रहित किया। परिजनों, लाला जी के साथ रहे बुजुर्गों और अस्सी वर्षीय कार-चालक सरदार चरणसिंह से मिलाया जिन्होंने मूल्यवान जानकारी प्रदान की। दिल्ली के वरिष्ठ नेता श्री प्रेमसागर गुप्ता ने समय-समय पर पत्राचार द्वारा मार्गदर्शन किया। उनके प्रति कृतज्ञ हूँ।

पूज्य स्वामी विद्यानन्द सरस्वती (पूर्व आश्रम में प्रिंसिपल श्री लक्ष्मीदत्त दीक्षित) ने आर्यसमाज और हैदराबाद सत्याग्रह से संबद्ध बड़ी लाभदायक जानकारी दी। स्वामी जी के लिये नतमस्तक हूं।

मैं पुस्तक के कुशल सम्पादन के लिए जाने माने पत्रकार तथा 'अग्रोहाधाम' के सम्पादक शिवकुमार गोयल (पिलखुवा) के प्रति आभारी हूँ।

लाला देशबंधु गुप्ता के जीवन एवं कार्यों पर यह प्रथम पुस्तक होगी। इसके प्रकाशक अग्रोहा विकास ट्रस्ट के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

आशा करता हूँ कि आप इस पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ेंगे और उस महापुरुष के जीवन-वृत्तों से प्रेरणा लेकर समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में सुरुचि से अग्रसर होंगे।

1105, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी
पानीपत- 132103

-पी० पी० सिंगला
पूर्व अध्यापक, इतिहास विभाग
श्री सनातन धर्म कॉलेज, पानीपत (हरियाणा)

बीसवीं शती के प्रथम चरण में आर्य समाज के पुनर्जागरण आन्दोलन, लोकमान्य तिलक के उग्र राष्ट्रवाद तथा महात्मा गांधी के अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लाखों भारतवासी राष्ट्रीय आन्दोलन में उतरे और स्वदेश की स्वतंत्रता के वास्ते ब्रिटिश साकार की जेलों में घोर यंत्रणायें झेलीं। इन देशभक्तों में ऐसे भी थे जिन्होंने समाज एवं राष्ट्र सेवा के ऊँचे आदर्श स्थापित करके जनता का मार्ग दर्शन किया और जो युवा पीढ़ी के लिए आलोक स्तम्भ बन गये। ऐसे वन्दनीय पुरुषों में थे लाला देशबंधु गुप्ता।

देशबंधु का जन्म 14 जून 1901 ई० को हरियाणा प्रदेश के ऐतिहासिक नगर पानीपत के एक साधारण गर्ग अग्रवाल परिवार में हुआ। उनके पिता लाला शादीराम अर्जीनवीस थे। ईमानदार और सत्यनिष्ठ थे। अपनी कलम से कभी कोई झूठा कागज नहीं लिखा। नगर में इतने प्रतिष्ठित थे कि सामाजिक कार्य उनके सुझाव-सम्मति के बिन सम्पन्न नहीं होता था। कई वर्ष आर्य समाज पानीपत के प्रधान रहे। वे वैदिक सिद्धांतों के उद्भट् विद्वान थे, आर्यसमाज के मन्तव्यों के प्रचार में लगनशील और शास्त्रार्थ महारथी भी थे जिन्होंने कितने ही मौलवियों-पादरियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वह उच्चकोटि के उर्दू गद्यकार भी थे। उनके लेख 'आर्य मुसाफिर' 'तेज' 'इन्द्र' आदि पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहे। कई पुस्तकें लिखी, जिन में 'इल्में हिन्दसा का मम्बा वेद है' कृति को आर्य जगत में भरपूर ख्याति मिली।

पिताश्री के ये सद्गुण-सत्यनिष्ठा, वाणी में ओजस्विता तथा तथा पत्रकारिता देशबंधु को विरासत में मिले, जिनसे उनके सार्वजनिक जीवन का निर्माण हुआ।

पांच साल के थे जब देशबंधु ने स्थानीय मदरसे में उर्दू-फारसी पढ़ना शुरु किया। यहीं से माध्यमिक परीक्षा पास करके आर्य हाई परीक्षा अम्बाला में प्रवेश लिया। 1916 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की। उस युग में युवाओं की सब से बड़ी आकांक्षा यह थी कि वे भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर लें, इसके लिये सेंट स्टीफन कॉलिज दिल्ली सब से उपयुक्त जगह

समझी जाती थी। प्रोफेसरों और लेक्चरर में जाने पहचाने नाम थे जैसे- चार्ल्स एन्ड्रुज़, वर्स्टन और घोष। प्राचार्य थे गांधी जी के परम मित्र श्री एस.के. रुद्र। इसी कॉलेज के छात्र रह चुके थे— क्रान्तिकारी लाला हरदयाल, हैदररिज़ा तथा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता श्री आसफअली। इसी कॉलेज में देशबंधु दाखिल हुये। वह मात्र पाठ्य पुस्तकों व प्राध्यापकों के व्याख्यानों तक सीमित नहीं रहे, कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यों तथा छात्र-संस्थाओं में भी सुरुचि से भाग लिया। आर्य समाज चावड़ी बाजार के सक्रिय सभासद रहे। रविवारीय सत्संग-प्रवचन में नियमित उपस्थित रहते थे। प्रिंसिपल श्री एस० के रुद्र अपने छात्रों को गांधी दर्शन से अवगत कराते। राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं पर भी उनके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान प्रायः होते रहते थे। उनका आचरण भी अनुकरणीय था। ऐसे वातावरण में पल्लवित देशबंधु महानगर दिल्ली के सार्वजनिक कार्यों में अग्रणी दिखाई देने लगे।

इन्ही दिनों देश के सर्वाधिक जन-प्रिय नेता लोकमान्य तिलक दिल्ली पधारे। उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। जनता ने पलक-पांवड़े बिछा दिये। जुलूस में लाखों नरमुंडों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फूलों से ढके नेता के दर्शन दुर्लभ थे। 'भगवान तिलक की जय' से लोगों ने आकाश गुंजा दिया। लोकमान्य को जिस गाड़ी में बिठाया गया, कुछ दूर जाकर उसके घोड़े खोल दिये गये और गाड़ी को रस्सियाँ बाँध कर शहर के रईसों तथा कॉलेज-छात्रों ने खींचना शुरु कर दिया। रस्सी पकड़े हुये देशबंधु भी थे।

1919 की ऐतिहासिक 30 मार्च को रोलेट एक्ट के प्रतिरोध में आन्दोलन हुआ। दिल्ली में दो बार गोली चली। चौदह व्यक्ति शहीद हो गये। घायलों को डोलियों पर रखकर युवक अस्पताल ले जा रहे थे। रक्त दाताओं की भीड़ थी। यहां भी देशबन्धु आगे नज़र आये।

स्वामी श्रद्धानन्द ने शहीदों का स्मारक बनाने की योजना बनाई। इसके लिये कुछ लाख रुपये से पटौदी हाउस खरीदना था। कलकत्ताँ के सेठ रघोमल ने एक लाख देने का वचन दिया। पचास हज़ार भिजवा दिये। धन-संग्रह के लिए स्वयं सेवक बाज़ारों में उतर आये। देशबन्धु भी गले में झोली डाल कर दुकान-दर-दुकान दान मांगने लगे। ऐसे थे चढ़ती जवानी में देशबन्धु कें काम।

कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1920) में असहयोग प्रस्ताव पास हो गया। असहयोग कार्यक्रम से जनता को परिचित करने के निमित्त गांधी जी

देश के दौरे पर निकले। हरियाणा में आगमन पर भिवानी में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पचास हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। दिल्ली से देशबन्धु भी अपने छात्र-मित्रों के साथ सम्मेलन में भाग लेने गये। 22 अक्टूबर की प्रातः महात्मा गांधी, श्रीमती कस्तूरबा और कुछेक राष्ट्रीय नेता पधारे। वयोवृद्ध ला. मुरलीधर को अध्यक्ष बनाया गया। मंचीय औपचारिकताओं के उपरांत गांधीजी भाषण करने खड़े हुए। ऊंची मोटी धोती, काठियावाड़ी अंगरखा और पगड़ी धारण किये हुए गांधी जी ने सीधी सादी भाषा में नपे-तुले शब्द कहे-'असहयोग में मेरा विश्वास है। यह एक साल में स्वराज्य दे सकता है। ईश्वर स्वार्थहीन बलिदान चाहता है। भारतवासियों को अदालतें, सरकारी नौकरियाँ, शिक्षण संस्थायें तथा पदवियाँ छोड़ देनी चाहियें। सभी चरखे पर कते हुये सूत से बना वस्त्र पहनें।'

देशबंधु ने गांधीजी के प्रथम दर्शन किये। उनकी सादगी, सौम्यता और संतों जैसा व्यक्तित्व देखकर उनके अंतर का सिंह जाग उठा। वह इतने, प्रभावित हुये कि उसी समय गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प कर लिया। खादी पहनने की उद्घोषित प्रतिज्ञा की—'ईश्वर को साक्षी करके मैं प्रण करता हूं कि आगे से हमेशा भारत में ही उत्पन्न रुई, ऊन तथा रेशम से हाथ के बने हुए वस्त्र पहनूंगा। मेरे पास जो विदेशी कपड़े हैं उन्हें जला देने का वचन भी देता हूं।'

भिवानी से लौटकर देशबंधु सीधे अपने श्रद्धेय प्राचार्य श्री रुद्र के कार्यालय में गये और कॉलेज त्यागने का आवेदन पत्र उनके सामने रख दिया। प्राचार्य महोदय ने आशीर्वाद के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

लाला लाजपतराय से प्रेरणा

कॉलेज छोड़कर देशबंधु नें 'तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स' में प्रवेश प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण-संस्थान लोकमान्य तिलक की स्मृति में लाला लाजपतराय ने स्थापित किया था। उद्देश्य था-राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये चरित्रवान तथा अनुशासित कार्यकर्त्ताओं का दल तैयार करना। लाला जी की अवधारणा थी कि राजनीति में सक्रिय चरित्रहीन तथा अवसरवादी व्यक्ति देश को रसातल में ले जायेंगे। वह कहा करते थे-'राजनीति के युद्ध में सदाचार और नैतिकता के हथियारों से ही शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है।' तिलक स्कूल में

प्रशिक्षण स्वयं लाला लाजपतराय जी दिया करते थे। कभी कभार दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द और लाहौर में भाई परमानन्द प्रशिक्षण देते थे।

लाला लाजपतराय में कुछ ऐसी क्षमता थी कि वह युवाओं के अन्तर में झांक कर उनकी चारित्रिक विशेषतायें आंक लिया करते थे। देशबंधु में उन्होंने कर्त्तव्य-परायणता तथा कर्मनिष्ठा देखी। लेखनी एवं वाणी की ओजस्विता से भी प्रभावित हुए। लालाजी उन्हें अपने पत्र 'वन्देमातरम' का लेखन व सम्पादन कार्य सौंप दिया। असहयोग आन्दोलन से जुड़े विविध कार्यों की जिम्मेदारियाँ भी उन्हें दीं। वस्तुतः देशबन्धु सन् 1921 में लाला लाजपतराय के परम विश्वसनीय कार्यकर्ता समझे जाते थे। सेनापति और सैनिक में कितना सान्निध्य था, इसका ब्यौरा श्री देवदास गांधी के शब्दों में—'एक दिन डॉ. अंसारी की कोठी पर मैं एक जलसे में बैठा हुआ था। लाला लाजपतराय आये और लाला देशबंधु गुप्ता का पता करने लगे। मैं हैरान था कि लालाजी किसे पूछ रहे हैं। अचानक एक नौजवान उठा और लाला जी के साथ चला गया। वह देशबन्धु थे।' इस वृत्त से सहज ज्ञात होता है कि बीस वर्षीय देशबंधु राष्ट्रीय आन्दोलन में एक अनुभवी प्रौढ़ पुरुष के सदृश सक्रिय थे।

दिल्ली की जनता में 1919 की घटनाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अतः लोगों ने असहयोग कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकानों पर खूब पिकेटिंग हुई। चौक-चौराहों पर विलायती कपड़ों की होलियां जलाई गईं। हजारों की संख्या में चरखे बने और कमजोर लोगों में बांटे गये। असंख्य महिलाओं व पुरुषों ने खादी पहनने का व्रत लिया। सभी काम सुचारू रूप से होते रहे। किन्तु अस्पृश्यता-निवारण के प्रति खिलाफती मुसलमानों की उदासीनता के कारण इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी।

गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में धार्मिक सद्भावना सुदृढ़ करना भी था। इस उद्देश्य को लेकर दिल्ली प्रदेश की महिलाओं ने हिन्दू-मुस्लिम एकता सभा का आयोजन किया। पाँच सौ से अधिक महिलायें श्री लक्ष्मीनारायण धर्मशाला (फतेहपुरी दिल्ली) में एकत्रित हुईं। मुख्य वक्ता के रूप में देशबंधु गुप्ता आमंत्रित किये गये। उल्लेखनीय बात है कि इस महिला सभा में पुरुषों को पर्दे के पीछे से भाषण करने का प्रावधान था। यहां प्रश्न उठता है कि राजनीति में अग्रसर जागृत महिला वर्ग ने यह निराला नियम किस कारण से बनाया। सम्भवतः बुर्का धारिणी कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं ने सभा में शामिल

होने की यह शर्त रखी। देशबंधु ने भाषण करते हुए सरकार के विरुद्ध उत्तेजक शब्दावली का प्रयोग किया। साम्प्रदायिक एकता पर जोर देते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की विघटनकारी नीतियों पर करारे प्रहार किये। इस भाषण को आपत्तिजनक ठहराकर प्रशासन ने उनकी वाणी पर पाबंदी लगा दी।

जनसभाओं में बोलने पर पाबंदी लगने से प्रभावी वक्ता देशबंधु अब दिल्ली में अधिक कारगर नहीं रहे। इसलिये लाला लाजपतराय की अनुज्ञा से उन्होंने अपना गृह जिला करनाल संभाल लिया। साथ गये पं. मौलीचन्द शर्मा और श्री शिवनारायण भटनागर। दोनों लाहौर से कॉलेज छोड़कर आये थे। तीनों युवाओं ने प्रथमतः पानीपत का दौरा किया। तदन्तर करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, लाडवा और शाहबाद की यात्रायें कीं। स्थान-स्थान पर नागरिकों से सम्पर्क किया। पुराने कांग्रेसियों के सहयोग से सभायें कीं और व्याख्यान दिये। देशबन्धु ने महात्मा गांधी की नीतियों, चरखा तथा खादी की उपयोगिता, मद्यनिषेध, दलितोद्धार आदि पर व्याख्यान दिये। जनता ने दत्तचित होकर सुना। परन्तु राजनीति से अनभिज्ञ सीधे साधारण लोग विचारों की अपेक्षा इस बात से अधिक प्रभावित हुये कि कॉलेज छोड़कर आये हुए नौजवान लड़के गांधी, खादी और नशाबंदी के गुणगान करते घूमते हैं। कई जगह लोगों ने इन्हें फूल मालायें पहनायीं।

इन यात्राओं से राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति जनता में कुछ जागृति आयी। सैकड़ों की संख्या में पुरुषों-महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता के प्रपत्र भरे। कितने ही प्रबुद्ध व्यक्तियों ने खादी पहनने की प्रतिज्ञा की और सविनय आन्दोलन में सत्याग्रही-सूची में नाम लिखवाया। कैथल और करनाल के अनेक व्यापारियों ने वचन दिया कि वे विदेशी कपड़ा नहीं बेचेंगे। करनाल में खादी-प्रदर्शनी लगी। कुशल बुनकर पुरस्कृत किये गये।

देशबंधु जी ने दलितोद्धार पर विशेष बल दिया। प्रत्येक भाषण में उनका आग्रह होता था कि अछूतपन के अभिशाप को जड़ से मिटा दिया जाये। करनाल में दलितों और सवर्ण हिन्दुओं में भाईचारे का आदर्श उदाहरण प्रतिपादित करने के लिये एक अनूठी योजना बनाई। अपनी बिरादरी के पुराने कांग्रेसी और दृढ़ आर्य समाजी सर्वश्री गणपतराय, खुशीराम, लज्जाराम, मनीराम, ज्योतिस्वरूप, शान्तिस्वरूप, हरस्वरूप, हुकुमचन्द गुप्ता और कितने ही अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों का एक बड़ा सा जत्था लेकर मलाषियों के

मुहल्ले में गये और सबने इकट्ठे बैठकर जलपान किया। एक क्षुब्ध वृद्ध ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा—'सेठ लोगों पानी तो पी लिया हमारे हाथ से, रोटी-बेटी का रिश्ता बनाओगे?' इसका उत्तर मौलीचन्द्र जी ने बड़े शान्त भाव से दिया—'धैर्य रखिये, समय आ रहा है, ऐसा भी होगा।' इस अप्रत्याशित घटना से इलाके में तहलका मच गया। वह युग ही ऐसा था, जिसने सुना हैरान हुआ।

इस तरह सम्पर्क अभियान से नगरों तथा कस्बों में कांग्रेस का खूब प्रचार हुआ। किन्तु ग्रामांचल अछूते रहे। देहातियों ने महात्मा गांधी का नाम तो सुना था, पर उन्हें पता नहीं था कि कांग्रेस क्या है। इस कमी को पूरा करने के लिये देशबन्धु ने विशाल ग्रामीण सम्मेलन करने का निश्चय किया। सम्मेलन में अधिक से अधिक जनता जुटाने के उद्देश्य से लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्द जी को आमन्त्रित करने के निमित्त वह दिल्ली गये।

ऐतिहासिक कारनामा

इस समय असहयोग के रचनात्मक कार्यों-चरखा, खादी, मद्य-निषेध आदि का प्रचार उत्कर्ष पर था। गांधी जी ने 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन आरम्भ कर दिया। जनता में नये उत्साह का संचार हुआ। इसी वातावरण में 17 नवम्बर के भारत भ्रमण के लिये इंग्लैण्ड से 'प्रिंस ऑफ वेल्स' मुम्बई पधारे। इस यात्रा के बहिष्कार के लिये शहर में हड़ताल का आह्वान किया गया। परन्तु पारसियों तथा एंग्लो इण्डियन लोगों ने दुकाने खुली रखीं। जिससे दंगे भड़क उठे। पूरे तीन दिन गोलियां चलती रहीं। पुलिस ने भी खुलकर गोली चलाई। 400 से अधिक लोग घायल हुये और 53 मारे गये। सरकार ने अवसर का लाभ उठाकर अवज्ञा संघर्ष को कुचलने के लिए घोर दमन की नीति अपनाई। सर्वप्रथम 24 नवम्बर को लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी की गई। चालीस हजार लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक जेलें भरी। उनके पीछे हज़ारों हज़ार महिलायें-पुरुष अपने विश्वास का प्रदर्शन करने को तत्पर थे।

नगर-नगर में विद्रोह फैला हुआ था। परन्तु दिल्ली की दशा विचित्र प्रकार की थी। यहां लोग उत्तेजक थे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिये तैयार थे; किन्तु कांग्रेस के स्थापित नेता निठल्ले बैठे हुए सरकार से समझौते की प्रतीक्षा कर रहे थे। जेलें भरने की उत्सुक जनता नेतृत्व के अभाव में दिशा-विहीन थी। ऐसे हालात में प्रिंस के दिल्ली आगमन का दिन निकट आ

गया। प्रशासन की प्रबल इच्छा थी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी में प्रिंस का स्वागत भव्यता से किया जाये। परन्तु जनता चाहती थी हड़ताल और काले झंडों से प्रिंस का बहिष्कार। एक तरफ साम्राज्य की शान और दूसरी तरफ स्वदेश के स्वाभिमान में अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न था।

इस स्थिति में नौकरशाही ने भयंकर चाल चली। इसने दलित बिरादरियों के लोग फुसला लिये। उनसे प्रिंस के स्वागत में सहयोग करने का आश्वासन प्राप्त कर लिया। रिझाने के लिये उन्हें पैसे दिये; सूट-बूट बांटे, ताकि प्रिंस को ये लोग अपनी पढ़ी-लिखी सम्भ्रान्त प्रजा दिखाई दे।

ऐसी भयावह परिस्थितियों में दिल्ली के बेताज बादशाह स्वामी श्रद्धानन्द शांत कैसे रह जाते। उन्होंने तत्काल आर्यसमाज और हिन्दूसभा को सक्रिय किया। गोरक्षिणी सभा के प्रधान के नाते उन्होंने प्रिंस के बहिष्कार की अपील निकाली। पोस्टर-प्रसारित किये—'यह युवराज उस साम्राज्य का प्रतिनिधि है जिस में प्रतिदिन लाखों गायें कटती हैं। इसलिये देश की गोभक्त जनता का यह परम कर्तव्य है कि इसका स्वागत हड़ताल और काले झंडों से करे।' स्वामाजी ने अपने कार्यकर्ता ला. देशबन्धु गुप्ता, प्रो. इन्द्र, ला. शंकरलाल, ला. हनुमन्तसहाय तथा अब्दुल रहमान मैदान में उतारे और इन्हें बहिष्कार को सफल बनाने के काम अलग-अलग सौंप दिये। देशबन्धु ने दलितों में व्याप्त राजभक्ति निरस्त करने का बीड़ा उठाया।

नौकरशाही ने अपनी दुराभिसन्धियों द्वारा दलितों को कट्टर राजभक्त बनाया हुआ था। देशबन्धु ने इन्हें पटरी पर लाने के लिये सशक्त प्रयत्न करना शुरु कर दिया। वे दलितों की एक-एक बस्ती में गये। उन चौधरियों से मिले जो कांग्रेस से अत्यधिक चिढ़े हुये थे। एक चौपाल में चमारों के एक चौधरी ने क्रोध भरे शब्द कहे—'तुम हमें साथ मिलाने की बात कहते हो, तुम्हारी यह हिन्दुओं-मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी हमें कुओं पर चढ़ने से रोकती है, हमें प्याऊ पर पानी बांस की नलियों से पिलाया जाता है, फिर कहते हो स्वराज्य लेंगे, हम देखते हैं तुम स्वराज्य कैसे लेते हो?' ऐसे भड़के हुए लोगों को समझाने-बुझाने में देशबन्धु ने दिन-रात एक कर दिया। अनेक तर्क दिये। गांधी जी के भाषणांश रखे। परन्तु घोर पुरुषार्थ के बाद भी उन्हें इतनी ही सफलता मिल सकी कि दलित लोग असमंजस की स्थिति में आ गये। वे पूर्ण सफलता के लिये अन्तिम दिन तक प्रयासरत रहे।

प्रिंस की यात्रा से पहले दिन प्रशासन ने दलितों को असहयोगियों की पहुँच से परे रखने के उद्देश्य से पत्थर वाले कुएँ पर दलित सम्मेलन का आयोजन किया। परिसर के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था। किसी गैर दलित को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। 'सातों तले बंद किये कि परिंदा भी पर न मार सके।' परन्तु किसी विधि से देशबंधु गुप्ता और शंकरलाल जी भीतर पहुंच कर मंच पर विराज गये। मंच-संयोजक की अनुमति से देशबंधु जी ने दलितों को सम्बोधित किया—'महात्मा गाँधी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने के लिए कृत संकल्प हैं। उनकी अवधारणा है कि दलितों को साथ मिलाये बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता।

'गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति की एक शर्त दलित भाइयों को उनके अधिकार दिलाने की होगी। आप उनकी नीतियां अपनायें, असहयोग में साथ दें। आप प्रिंस के स्वागत में शामिल होकर इस अत्याचारी सरकार के हाथ मजबूत न करें।' देशबंधु बोलते रहे बीच में 'गांधी बाबा की जय' के स्वर सुनाई दिये। पुलिस देखती रही। लाचार थी उन्हें गिरफ्तार करने में। कारण प्रशासन यह नहीं चाहता था कि शहर में उत्तेजना भड़के और प्रिंस के सामने मुम्बई के दंगों की पुनरावृत्ति हो।

अगले दिन प्रिंस आये। शहर में हड़ताल थी। जब उसका जुलूस काले झंडों से सजे हुये बाजारों से निकला तो भीड़ में 'गांधी जी की जय' के नारे लगाये गये। स्वागत समारोह भी फीका रहा। कुछ टोलियों, सरकारी कर्मचारियों तथा देहात से बुलाये हुये जैलदारों-लम्बरदारों के सिवा अन्य शून्य के बराबर थे।

इस सारे घटनाक्रम से देशबंधु को अथाह लोक-प्रियता मिली। उनके राजनीतिक कौशल्य के चर्चे होने लगे। आल्हादित स्वामी श्रद्धानन्द ने उन्हें 'देशबंधु' की संज्ञा से अलंकृत किया। अभी तक वे रतिराम थे। प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें प्रचार मंत्री नियुक्त किया। पत्थर वाले कुएं की घटना से सरकार खार खाये हुये थी। प्रचार मंत्री बनते ही वह गिरफ्तार कर लिये गये। मुकद्मा चला। 1922 ई. की 5 जनवरी को उन्हें एक साल साधारण कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब की कुख्यात मियांवाली जेल में रहे। यह उनकी प्रथम जेल यात्रा थी।

मियांवाली जेल में बाबा खड़कसिंह, क्रांतिकारी महात्मा नन्दगोपाल, स्वामी विश्वेश्वरानन्द, नेकीराम शर्मा, आसफअली, पानीपत के मौलवी लका उला और 'गुरु का बाग' सत्याग्रह के सैकड़ों अकाली थे। 24

अक्तूबर को स्वामी श्रद्धानन्द को भी इस जेल में पहुंचा दिया गया। उनके आने से जेल में अनायास ही एक यज्ञशाला का सृजन हो गया। सन्ध्या, हवन, जपजी और गीता पाठ नित्य होने लगे। स्वामी जी ने वैदिक विषयों पर असंख्य व्याख्यान दिये। जेल में प्राप्त अवकाश का लाभ उठाकर उन्होंने 'कल्याण पथ का पथिक' आत्म कथा के सैंकड़ों पृष्ठों की संरचना की। देशबंधु नित उनके सम्पर्क में रहे, जिससे उनकी अभिव्यंजना एवं लेखन शैली को शक्ति मिली। स्वामीजी चार महीने जेल में रहे। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में उनकी रिहाई हो गई। कुछ दिन बाद देशबंधु और दिल्ली के अन्य बंदी छूट गये। जनता ने शहीद स्मारक में उनका भव्य अभिनन्दन किया।

दंगों में सद्भाव का प्रयास

चौरी-चौरा की त्रासदी से असहयोग आन्दोलन स्थगित कर देने से देश की राजनीति ठप्प हो गई। जनता में निराशा फैल गई। गांधी जी की गिरफ्तारी और देशभक्तों में दरार पड़ने से राष्ट्रीय संघर्ष लुप्त हो गया। ऐसे माहौल में देशबंधु जेल से बाहर आये। उन्होंने पानीपत छोड़ दिया और दिल्ली में ही रहने लगे। स्वावलम्बन हेतु 'स्वदेशी स्टोर' चांदनी चौक में काम करने लगे। दिन भर वहां व्यस्त रहते। समय मिलने पर आर्य समाज में चले जाया करते। हिन्दू सभा में भी पूरी रुचि ले रहे थे।

इसी समय देश के कई क्षेत्र साम्प्रदायिक दंगों की लपेट में आ गये। ये दंगे पसर गये और भयंकर रुप धारण कर लिया। जुलाई 1924 में दिल्ली में आग भड़क उठी। बल्लीमारान और कटरा नील में भीषण रक्तपात हुआ। इस आग को शान्त करने के लिये शंकरलाल, देशबंधु, डिप्टीमल जैन, आसफ अली, मौलाना अब्दुल्ला आदि आगे आये। इन्होंने दंगाग्रस्त मुहल्ले-बस्तियों में वरिष्ठ व्यक्तियों की सांझी समितियां बनाईं। पोस्टर प्रसारित किये। जिन में मस्जिदों के सामने बाजा न बजाने और गौ की कुर्बानी बंद करने की अपीलें प्रकाशित की गईं। आपसी सद्भावना सभायें आयोजित की गईं।

किसी विधि से भी एकता बनाने में सफलता नहीं मिल सकी। आखिर महात्मा गांधी पधारे। उन्होंने दोनों वर्गों के लोगों से मिलजुलकर रहने का आग्रह किया। जब कोई परिणाम नहीं निकला तो गांधी जी 18 सितम्बर से 21 दिन के उपवास पर बैठ गये। देश हिल उठा। दिल्ली शांत हुई। अन्य क्षेत्र भी ठंडे पड़ने लगे।

साम्प्रदायिक झगड़ों में हरियाणा भी पीछे नहीं रहा। यहां जो झगड़े हुये, जिन में दो का कलंक पानीपत के माथे पर है। सूफी-सन्तों की सराय और शायरों के शहर में 30 और 70 के अनुपात में हिन्दू और मुसलमान मिलजुल कर रह रहे थे। समय की विडम्बना ख़िलाफत खत्म होने की खीज यहां के मुसलमानों में भी हो गई। अप्रैल 1923 की एक सांझ श्री जगन्नाथ मन्दिर में आरती हो रही थी। पास की मस्जिद से मुसलमान लाठियाँ लेकर आये- 'बंद करो यह शोर हमारी अज़ान हो रही है।' कुछ झगड़ा हुआ। खबर तुरन्त शहर में फैल गई। देखते ही देखते भीषण दंगा हो गया। दोनों वर्गों के अनेक व्यक्ति घायल हो गये। मामला अदालत में गया। दूसरा दंगा अगस्त 1925 में देहात के यमुना-स्नानार्थियों और मुसलमानों में हुआ। उस दिन मुहर्रम थी। पुलिस की शह पर कुछ शरारती तत्वों ने परम्परागत मार्ग से हटकर ताज़िये ले जाने चाहे। झगड़ा शुरु हो गया। पुलिस ने संदेहशील भूमिका निभाई। तीन सौ घायल हुये और इतने ही गिरफ्तार किये गये।

प्रत्येक अवसर पर देशबंधु पानीपत आये तथा प्रभावशाली नेता लाला खेमचंद के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों में सभी बुजुर्गों से मिले। एकता पंचायतें बुलाई। चूंकि देशबंधु मुसलमानों में भी आदर के पात्र थे इसलिये उन्हें सद्भावना स्थापित करने में देर नहीं लगी।

पानीपत में देशबंधु के वरिष्ठ सहयोगी लाला खेमचंद एक साहसी एवं निर्भीक व्यक्ति थे। वह कई वर्ष आर्यसमाज के प्रधान और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक रहे। देशबंधु जब कभी पानीपत पधारते, सबसे पहले उनसे मिलते और शहर की समस्याओं पर परामर्श करके समाधान खोजते। लाला खेमचंद का दबदबा इतना था कि उनके दम से अपल्पसंख्यक हिन्दुओं के हौसले हमेशा बुलन्द रहे। उन्होंने न केवल पानीपत वरन् समस्त हरियाणा के हिन्दुओं का स्वाभिमान अक्षुण्य बनाये रखा। 1921 की घटना है-गीता भवन कुरुक्षेत्र का शिलान्यास जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों के हत्यारे पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर ने करना था। खेमचंद तुरन्त कुरुक्षेत्र, पहुँचे और अंग्रेज अधिकारियों के सामने सिंह गर्जना की-'हम यहां दूसरा महाभारत छेड़ देंगे यदि भगवान कृष्ण के गीता भवन की नींव निर्दोष जनता के खून से सने हाथों से रखी गई।' गवर्नर को बिना उद्घाटन किये लाहौर लौटना पड़ा। लाला खेमचंद को 'शेरे पानीपत' की संज्ञा से स्मरण किया जाता है।

हिन्दू महासभा में सक्रिय

असहयोग आन्दोलन के दौरान देशबंधु ने तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमानों की ऐसी कितनी ही अराष्ट्रीय गतिविधियां आंकी जिनसे वह हिन्दू संगठन की अनिवार्यता अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा कि जो मुसलमान शहीद स्मारक के लिये धन संग्रह करने में कतई साथ नहीं लगे, उन्होंने अंगोरा फंड इकट्ठा करने में दिन रात एक कर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली हिन्दुओं ने अपना धार्मिक कर्तव्य समझकर जलाई, मोतीलाल नेहरु व सी.आर.दास जैसे नेताओं ने हजारों के वस्त्र फूंक दिये, किन्तु मुसलमानों ने अपने कपड़ों की गांठें बांध-बांधकर अपने मुस्लिम भाइयों के वास्ते तुर्की भिजवाईं। केरल में मोपलों ने हजारों हिन्दुओं की हत्यायें कर दीं, उनकी निन्दा का प्रस्ताव भी कांग्रेस कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। इतना ही नहीं उन दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कहे जाने वाले मुसलमान नेता भी नहीं चाहते कि अस्पृश्यता निवारण किया जाये और तथाकथित अछूत लोग हिन्दुओं में मिलकर उनकी संख्या में वृद्धि करें। इन विसंगतियों के परिदृश्य में लालाजी की अवधारणा बन गई कि हिन्दू समाज को सुसंगठित, अनुशासित तथा प्रबुद्ध बनाये बिना स्वराज्य मिलना सम्भव नहीं। इसी विचारधारा से उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रहकर हिन्दू महासभा में प्रवेश किया।

इस कालखंड में हिन्दू सभा और कांग्रेस एक दूसरे की विरोधी संस्थायें नहीं थी। सामीप्य भी इतना था कि एक मंच पर दोनों अपना सम्मेलन कर लिया करते थे। एक व्यक्ति दोनों का सक्रिय सदस्य बन सकता था। दरअसल हिन्दू सभा एक ऐसा मंच था जहां हिन्दू हितों के प्रहरी कांग्रेसी नेता अपने विचार व्यक्त करते थे। ऐसे राष्ट्रीय नेता थे-लाला लाजपतराय, पं. मदनमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, डॉ. रघुवीर, पं. नेकीराम, ला. जगतनारायण और लाला देशबंधु गुप्ता।

इन नेताओं का यह प्रयास रहा कि हिन्दू महासभा भी राष्ट्रीय संघर्ष में कांग्रेस के साथ मिलकर रहे। उदाहरण के तौर पर हिन्दू महासभा के मंत्री लाला सुखवीरसिंह ने हरिद्वार अधिवेशन में प्रस्ताव पास करवा दिया कि अगर ब्रिटिश सरकार जन्माष्टमी तक गोवध बंद नहीं करेगी तो वृन्दावन में विशेष अधिवेशन करके हम एक ऐसा बम फेकेंगे, जिससे सरकार का

टिकना मुश्किल हो जायेगा। समाचार सुनकर नेकीराम, शंकरलाल और देशबंधु वृन्दावन अधिवेशन में पहुँच गये। इनकी प्रेरणा से अधिवेशन में उपस्थित जनता ने जन्माष्टमी की आधी रात में भगवान के जयकारों के साथ असहयोग आन्दोलन में हिन्दू महासभा के सहयोग की घोषणा करवा दी। 7 नवम्बर को गोपाष्टमी के दिन हिन्दू महासभा का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि 'यह सभा देश के समस्त हिन्दू समाज को प्रेरणा देती है कि वह गौ हत्या पर प्रतिबंध लगने तक कांग्रेस के तत्वावधान में अहिंसात्मक आन्दोलन में सहयोग दे।'

मई 1924 में हिन्दू महासभा का अधिवेशन प्रयाग में हुआ। अध्यक्ष थे जगत्गुरु शंकराचार्य श्री कुर्तकोटि। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा को मान्यता प्रदान की गई तथा महासभा के सदस्यों से शुद्धि कार्यों में सहयोग देने का प्रस्ताव पास किया गया। स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि आन्दोलन में सहायता देने की अपील की। हिन्दू समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव तथा दहेज़ प्रथा के निवारण पर देशबंधु ने प्रभावी व्याख्यान दिया।

जून 1925 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर हिन्दू महासभा के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से लाला लाजपतराय प्रधान बनाये गये। मालवीय जी, स्वामी श्रद्धानन्द, राजा रामपालसिंह, उप प्रधान, पं. नेकीराम और लाला ज्वालाप्रसाद सिंघल ने क्रमशः महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष का भार सम्भाला। भाई परमानन्द और लाला देशबंधु गुप्ता कार्यसमिति में पुनः लिये गये।

कतिपय मतभेदों के कारण देशबन्धु गुप्ता हिन्दू सभा से त्याग पत्र देकर दिल्ली की जनता के साथ साइमन कमीशन के बहिष्कार की तैयारियों में जुट गये।

साइमन कमीशन का बहिष्कार

1928 की तीन फरवरी को साइमन कमीशन मुम्बई में उतरा। हड़ताल, काले झंड़ों और 'साइमन गो बैक' के नारों से उसका स्वागत हुआ। इस दिन न केवल मुम्बई वरन् सारे भारत में हड़ताल थी। लोगों ने मकानों-दुकानों पर काले और तिरंगे झंडे लगाये। विशाल जुलूस निकाले। अल्प काल में 'साइमन गो बैक' के नारों का माहौल इतना गरमा गया कि छोटे-छोटे बच्चे जो कुछ

नहीं समझते और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानते थे, वे भी 'साइमन गो बैक' गा गाकर अंग्रेजों को जलील करते थे। कमीशन जहां भी गया, हजारों की संख्या में लोगों ने लाठियों-गोलियों की परवाह किये बिना विरोध में काले झंड़ों से जुलूस निकाले।

दिल्ली में कमीशन ने 21 नवम्बर को आना था। चार दिन पहले लाहौर में पुलिस की लाठियों के पाशविक प्रहारों से घायल लाला लाजपतराय का बलिदान हुआ था। लालाजी की मृत्यु से क्षुब्ध लोगों ने जबर्दस्त प्रदर्शन करने का निश्चय किया। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमाघर, दफ्तर सब बंद पड़े थे। काले झंड़ों की भरमार थी। कमीशन को सायं सात बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचना था। दोपहर होते ही लोग जुलूस में जुड़ने लगे। लगभग साठ हजार जनता कम्पनी बाग में एकत्रित थी। जुलूस नई दिल्ली स्टेशन की ओर चल पड़ा। आगे लाला देशबंधु, लाला शंकरलाल, बहन सत्यवती और श्री जे.एन. साहनी चल रहे थे। उनके साथ प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति, अंसारी, ला० फूलचंद जैन, श्री हनुमंतसहाय, ला० नारायणदास, श्री ब्रजकृष्ण चांदी वाले, मुहम्मद तकी आदि दिल्ली के लगभग सभी प्रभावशाली नेता मौजूद थे। 'साइमन गो बैक' निनादते, झूमते, काले झंड़े झोरते उत्तेजित लोगों का जुलूस मंजिल की ओर बढ़ता चला। स्टेशन के बाहर सौ गज में धारा 144, संगीनों लाठियों से लैंस पुलिस पक्तियाँ तैयार खड़ी थीं। जुलूस आगे बढ़ने से रोक दिया गया। संगीनों के साये में कमीशन के सदस्यों को पुलिस प्लेट फार्म से बाहर ले आई और राजभवन पहुँचा दिया।

नमक कानून का उल्लंघन

महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक डांडी कूच 79 सत्याग्रहियों को साथ लेकर आरम्भ किया। साबरमती आश्रम से 241 मील की पदयात्रा चौबीस दिन में तय करके 6 अप्रैल को वे डांडी पहुँचे। समुद्र जल से नमक बनाकर सरकारी कानून की धज्जियां उड़ा दीं।

इसी दिन इसी क्षण समूचे देश में समुद्र के किनारों, झीलों, नदियों और खारे कुओं से नमक बनाने का क्रम शुरु हो गया। सत्याग्रहियों से जेलें भरने लगीं। दिल्ली के देश भक्तों ने यमुना पार शाहदरा राजमार्ग पर सीलमपुर में नमक शिविर लगाया।

9 अप्रैल को प्रातः सीलमपुर का नमक मोर्चा देशबंधु ने संभाला। सत्याग्रहियों में स्थानीय वरिष्ठ नेता तथा प्रतिष्ठित व्यापारी थे। नमकोत्पादन के साधन पहले से ज्यादा जुटाये गये। हज़ारों दर्शकों की भीड़ में ध्वजारोहण हुआ। वन्देमातरम् गान के बाद नमक बनाने की प्रक्रिया शुरु की गई। धधकती भट्टियों पर पानी उबाला। पर्याप्त मात्रा में पानी जल जाने पर शेष बचा हुआ थालियों-तश्तरियों में डालकर सुखाया गया। पानी उड़ गया, नमक रह गया। अन्ततोगत्वा लोगों ने नमक कानून की अर्थी का जुलूस बनाया और शहर की तरफ़ बढ़ने लगे। ब्रिटिश-राज मुर्दाबाद के नारे लगाते वे अभी थोड़ी दूर गये थे कि शाहदरा की ओर से पुलिस जुलूस के सामने आ धमकी। घिरे हुये जुलूस में से लगभग पचास प्रमख व्यक्ति चुनकर गिरफ्तार कर लिये गये। देशबंधु गुप्ता, शंकरलाल, देवदास गांधी, ओंकारनाथ, राधारमण, युद्धवीरसिंह, फूलचंद जौहरी, अयोध्या प्रसाद, मदनमोहन, हनुमन्तसहाय, चतुर्भुज और नरसिंह दास आदि रात भर शाहदरा थाने में रहे। प्रातः चांदनी चौक कोतवाली में अदालत ने लाला जी को 6 महीने की सजा दी। उन्हें जेल भेज दिया गया।

सहधर्मिणी भी जेल में

मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के तहत कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज परिषद में शामिल होना स्वीकार करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया। सरकार ने राजबंदी मुक्त कर दिये। परन्तु यह स्थिति कुछ महीने रह सकी। गोलमेज परिषद विफल रही और गांधी जी लन्दन से खाली हाथ लौट आये। वह अभी मार्ग में थे कि नये वाइसराय लार्ड विलंग्डन ने फ़ौजी कानून लागू करके दमन चक्र चला दिया। इस पर गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को अवज्ञा आन्दोलन की घोषणा कर दी। वह जेल में बंद कर दिये गये। उनकी गिरफ्तारी से भारत उद्वेलित हो उठा। आन्दोलन की आग दावाग्नि की तरह नगर-नगर और ग्रामंचलों तक फैल गई। पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरु कर दीं। पहले तीन महीनों में तीस हजार से अधिक लोग जेलों में जा चुके थे।

दिल्ली में कितनी ही राष्ट्रभक्त महिलायें थीं जिन्होंने आन्दोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ नाम है-बहन सत्यवती, श्रीमती पार्वती डीडवानिया,

श्रीमती चन्दो बीबी, श्रीमती राजपति कौल, श्रीमती द्रोपदी देवी, श्रीमती ब्रजरानी, श्रीमती कौशल्या देवी और श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोना देवी

श्रीमती सोनादेवी (लाला देशबंधु गुप्ता की धर्मपत्नी) ने 3 फरवरी को सविनय अवज्ञा के निमित्त दस राष्ट्र-सेविकाओं के जत्थे का नेतृत्व किया। नया बाजार स्थित श्रद्धानन्द बलिदान भवन से प्रस्थान करके 'भारत माता की जय' 'गांधी बाबा की जय' 'इन्कलाब जिन्दाबाद' आदि नारे लगाती हुई ये महिलायें गलियों, बाजारों से गुजर कर चांदनी चौक में दाखिल हुईं और प्रसिद्ध जवाहर मार्केट के विदेशी वस्त्र विक्रेताओं की दुकानों पर धरना दिया। कुछ व्यापारी किवाड़ बंद करके खिसक गये। खुली दुकानों पर विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध नारे लगने लगे। बहुत से व्यापारियों ने वचन दिया कि वे आगे कभी विदेशी माल नहीं मंगवायेंगे। जो ढीठ बनकर मौन बैठे रहे उन विक्रेताओं पर जमकर पिकेटिंग होती रही। आधा घंटा बाद लाठी बंद पुलिस पहुँची। सभी राष्ट्र सेविकाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय घंटाघर पर आन्दोलन के दसवें सर्वाधिकारी स्वामी मनोहरनाथ योगी बंदी हुये। वहां से सारी भीड़ जवाहर मार्केट में उमड़ पड़ी और विशाल जुलूस का सा दृश्य बन गया। श्रीमती सोना देवी तिरंगा और डेढ़ वर्षीय बालिका को उठाये हुये थी। पुलिस इन्स्पैक्टर ने झंडा छीनने का प्रयास किया। सोना जी ने, 'क्या लेडी पुलिस नहीं है' कहते हुये इंस्पैक्टर को बुरी तरह लताड़ा तथा झंडा नहीं दिया।

अदालत में श्रीमती सोना देवी ने लिखित वक्तव्य दिया-'हम स्वीकार करती हैं कि हमने सत्याग्रह किया। हमारा अपराध है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और उन्नति चाहती हैं।' सभी राष्ट्र सेविकाओं को तीन तीन महीने की जेल और दो सौ रुपया अर्थ दण्ड मिला। जुर्माना न देने पर डेढ़ महीना अतिरिक्त जेल।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तारी

24 अप्रैल 1932 का दिन दिल्ली के इतिहास में हमेशा याद किया जायेगा। प्रतिबंधित कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दस मिनट में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्ष पद पर विराजना था पं. मदनमोहन मालवीय जी को, किन्तु वह गाजियाबाद में रोक लिये गये। तब अहमदाबाद के सेठ रणछोड़दास अमृतलाल अध्यक्ष नियुक्त हुये। पुलिस ने नगर की नाकाबंदी की हुई थी। परन्तु देश भर के प्रतिनिधि पूर्व संध्या से नगर में अज्ञातवास कर रहे थे। अधिवेशन का समय प्रात: 9 बजे था और स्थान चांदनी चौक घंटाघर पर पलभर पूर्व सेठ रणछोड़दास एक दुकान के फट्टे से उठे और लपककर 'मंच' पर जा पहुँचे। प्रतिनिधियों ने भी तत्काल जगह ले ली। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और तुरन्त पारित कर दिया गया। पुलिस ने क्षुब्ध होकर पाँच सौ गिरफ्तारियाँ कीं इससे पूरी दिल्ली में क्षोभ व्याप्त हो गया।

सायं छ: बजे लाला देशबंधु गुप्ता के नेतृत्व में 38 सत्याग्रहियों का जत्था गली अनार से दरीबा में से गुजर कर चांदनी चौक में दाखिल हुआ। कूंचा नटवा के निकट जैसे ही पिकटिंग शुरु हुई घुड़सवार पुलिस ने भीड़ को विसर्जित करने के लिये लाठीचार्ज कर दिया। कुछ को चोट आई। सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस ने लालाजी को धक्के देकर लारी में बिठाने की कुचेष्ठा की। उत्तेजित लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस का यह दुर्व्यवहार लाला जी ने मर्यादित सत्याग्रही का कर्तव्य निभाते हुये सहन कर लिया तथा लोगों से शांत रहने का आग्रह किया।

लाला जी अभी कुछ दिन पहले ढ़ाई महीने की नजरबंदी के बाद दिल्ली जेल से छूटकर आये थे। दिल्ली के जिलाधीश मि. लियर्ड सत्याग्रहियों के समीप आये और लाला जी से प्रश्न किया-'लाला देशबंधु आप यह काम क्यों करते हैं?' लाला जी ने कहा-'तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हिन्दुस्तान का इतिहास देगा। मैं तो समझता हूं कि इस तरह के काम सरकार के अत्याचारों की प्रतिक्रिया में होते हैं।' लियर्ड ने कहा 'सम्भव है कि हमें गोली चलानी पड़े।' अंग्रेज के इन उत्तेजक शब्दों के उत्तर में लालाजी ने बड़े सहजभाव से मुस्करा कर कहा-'कोई बात नहीं, हिन्दुस्तानी की जिन्दगी तो एक गोली से कम कॉमत की है।' इस वार्ता के बाद लालाजी लारी में बैठ गये। उन्हें कोतवाली ले जाया गया। सजा एक वर्ष की मिली। एक बार पुन: मुलतान जेल में बन्द कर दिये गये। यहां दिल्ली के ला० देसराज चौधरी, श्री आसफअली, ला० शंकरलाल, ला० शामनाथ तथा कितने ही अन्य राज बंदी थे।

पृथक हरियाणा राज्य के प्रवक्ता

भारतीय राज्य पुनर्गठन के इतिहास में पंजाब से पृथक करके हरियाणा राज्य के गठन की एक विस्तृत कहानी है। जिसके जनक लाला देशबंधु जैसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने यह मुद्दा सबसे पहले उठाया और इसके लिये जीवन पर्यन्त संघर्ष किया।

ब्रिटिश सरकार ने 1858 में यह प्रदेश पंजाब से जोड़ा था। इस बेमेल गठजोड़ को ऐतिहासिक त्रासदी बताते हुये लाला जी ने कहा कि ब्रिटेन ने यह महापाप 1857 में सक्रिय रहे हरियाणवी देशभक्तों को दंड देने के लिये किया। विलय हो जाने के बाद यद्यपि दोनों प्रदेश एक थे किन्तु हरियाणा की जनता के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा सलूक किया गया। सरहिन्द के उधर पंजाब में विकास की गति तेज रही, सड़कें व नहरें बनी, उद्योग स्थापित हुये, विद्यालय-महाविद्यालय खोले गये। इधर हरियाणा में विकास कार्य लगभग शून्य के बराबर रहे। यह प्रदेश पिछड़ गया। चारों ओर अविद्या, अज्ञानता, गरीबी व लाचारी का बोलबाला हो गया।

इसके अलावा देशबंधु का तर्क था-हरियाणा की भौगोलिक इकाई अपनी प्राकृतिक सीमाओं से बंधी है। उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में सरहिन्द रेखा और घग्घर नदी, दक्षिण में राजस्थान की मरुभूमि और पूर्व में यमुना से घिरी 'हरि-अरण्य' धरा की सभ्यता संस्कृति की अपनी अलग पहचान है। यहां के सीधे-सादे, निरामिष अक्खड़ स्वभाव के स्वाभिमानी लोग पंजाबियों से कभी भी आत्मसात नहीं हो सके।

इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 9 दिसम्बर 1932 को लाला जी ने मुल्तान जेल से पृथक हरियाणा प्रदेश की मांग से संबद्ध अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया-'भारत के समूचे इतिहास में अम्बाला मंडल कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा। यह हर दृष्टि से पंजाब से भिन्न है। पंजाब प्रान्त का अस्त व्यस्त ढंग से जो निर्माण हुआ, हरियाणा प्रान्त का विलय उसी प्रक्रिया का अंग है। हरियाणा की भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, जातिभेद और जीवन पद्धति पंजाब से कतई भिन्न है। यही कारण है लम्बे समय के बाद भी यह क्षेत्र वास्तविक रूप से पंजाब से कतई अलग-थलग रहा।'

देशबंधु के इस वक्तव्य को महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला। सभी हरियाणवी नेताओं ने इसका हार्दिक स्वागत किया। तदन्तर यह मुद्दा

जन-सभाओं पत्र-पत्रिकाओं तथा देहाती चौपालों में चर्चा का विषय बन गया। पंजाब विधान सभा में भी लालाजी समय समय पर इस मांग को दोहराते रहे। परन्तु ब्रिटिश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। यथा स्थिति बनी रही।

1947 में देश के बटवारे से पंजाब का जो पूर्वी भाग भारत में आया, उसे पंजाब कहा गया। अब इस पंजाब से पृथक हरियाणा प्रदेश की मांग उभरकर सामने आई। लालाजी ने राष्ट्रीय संविधान सभा में इस मांग के पक्ष में तर्क दिया कि कांग्रेस भाषा एवं संस्कृति के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन स्वीकार कर चुकी है। वे गृहमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते रहे। पर मंजिल अभी दूर थी।

नवम्बर 1951 में लाला जी के निधन के बाद अनेक प्रकरण-पंजाबी सूबे की मांग, द्विभाषी पंजाब, संतों के अनशन, हरियाणवी नेताओं की चेतावनी आदि के रूप में सामने आये। आखिर संसद ने दोनों राज्यों का अलग अलग गठन स्वीकार कर लिया। 1 नवम्बर 1966 को लाला देशबंधु का स्वप्न साकार हुआ किन्तु वह इसे देखने के लिये इस संसार में नहीं थे।

पंजाब के प्रखर विधायक

ब्रिटिश सरकार ने 1935 में नया अधिनियम पास कर दिया जिसके अनुसार प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो गई। परन्तु केन्द्र में लगभग यथा स्थिति बनी रही। कांग्रेस ने यह व्यवस्था स्वीकार तो कर ली किन्तु झिझक के साथ। इसी कारण से मंत्री परिषद देर से बनाई गई। 1937 में देश के सभी ग्यारह प्रान्तों में चुनाव हुये। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत छः में मिला।

18 फरवरी को पंजाब विधान सभा की कुल 175 सीटों का चुनाव हुआ। यूनियनिस्ट पार्टी ने 99 लेकर सर सिकन्दर हैयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। कांग्रेस तथा हिन्दू महासभा ने क्रमशः 18 और 12 स्थान प्राप्त किये। पंजाब के हरियाणा प्रखंड में कांग्रेस के केवल लाला देशबंधु गुप्ता और पं. श्रीराम शर्मा वे भी शहरी क्षेत्रों से विजयी हो सके।

देशबंधु के सामने एक मात्र प्रत्याशी मालवीय जी की नेशनलिस्ट पार्टी से श्रीमती लेखावती जैन थी। वह एक लोकप्रिय समाज सेविका तथा पंजाब विधान परिषद की सदस्या थीं। मुकाबला बड़ा रोचक व कांटे का था। दोनों

पक्षों के कार्यकर्ताओं ने पानीपत, करनाल, अम्बाला, शिमला और लुधियाना तक विस्तृत क्षेत्र में दिन और रात एक कर दिया। उभय प्रत्याशी अप्रिय प्रचार से परे सौजन्यपूर्ण रहे। लालाजी ने 24300 मतों में से 3389 मत अधिक लेकर सफलता प्राप्त की। इस रोमांचक चुनाव के वृत्त करनाल-पानीपत के बुजुर्ग यादें कुरेद कुरेद कर सुनाया करते थे। कहते थे-' पं० नेहरु का दौरा न हुआ होता तो देशबंधु का जीतना सम्भव नहीं था।'

विधान सभा में विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व डॉ. गोपीचंद भार्गव ने किया। हरियाणवी प्रतिनिधि देशबंधु और श्रीराम शर्मा अधिक मुखर विधायक थे।

यूनियनिस्ट सरकार ब्रिटिश भक्त थी। इसने पंजाब से कांग्रेस को उखाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। भाषण करते हुये मंत्री सरकार की नीतियों-मंतव्यों का बखान करने की बजाय कांग्रेस को कोसते थे-'कांग्रेस बनियों का जमघट हैं।' 'गांधी के आन्दोलन किसानों की जमीने नीलाम करा देंगे' 'स्वराज्य का मतलब है शहरियों के लिये राज्य और गरीब देहातियों के वास्ते स्वाहा।' फलस्वरूप वर्गवाद, जातीय विषमता तथा शहरी-देहाती भेदभाव के बादल मंडराने लगे। यूनियनिस्ट कार्यकर्त्ताओं की धौंस पट्टी, कांग्रेस के जलसों में हुल्लडबाजी, पुलिस की मनमानी आदि प्रतिदिन के काम बन गये। वस्तुतः पंजाब में यूनियनिस्टों का यह दौर कांग्रेस का दुष्काल था।

उपर्युक्त विसंगतियों ने कांग्रेस के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगा दिया। अतः हरियाणा में ह्रासोन्मुख कांग्रेस को संभालने के लिये देशबंधु और श्रीराम शर्मा सक्रिय हो गये। इन्होंने ग्रामीण जनता को कांग्रेस से जोड़ने के निमित्त व्यापक जन सम्पर्क अभियान शुरु किया। एक एक गांव में गये। खेतिहार लोग कांग्रेस में भर्ती किये और उनकी समितियाँ संगठित कीं। जनसभाओं में जनता को गांधी दर्शन और रचनात्मक कार्यक्रम से अवगत किया। रोहतक, हिसार तथा करनाल के ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल सम्मेलन आयोजित किये जिन में श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री भूला भाई देसाई और अन्य राष्ट्रीय नेता आमन्त्रित हुये। 1938 के अन्तिम सप्ताह में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने रोहतक में हजारों ग्रामीण लोगों को सम्बोधित किया। इन प्रक्रियाओं से कांग्रेस-कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। संस्था को लोकप्रियता मिली। जिसकी झलक आगे चलकर व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान नजर आई।

विधायक के दायित्व भी देशबंधु ने लगन से निभाये। यद्यपि वे राष्ट्रीय आन्दोलन, आर्य समाज, गोरक्षिणी सभा, दैनिक तेज और दिल्ली की कितनी ही संघ-संस्थाओं में अत्यधिक व्यस्त थे, किन्तु उन्होंने पंजाब की जनता के हितों की कभी उपेक्षा नहीं की। विधान सभा की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने का उनका प्रयास होता था। समस्याओं तथा मुद्दों का गहन अध्ययन, तीक्ष्ण प्रश्न, वाद-विवाद आदि संसदीय शस्त्रों से लैस होकर वे सदन में प्रवेश करते। प्रथम सत्र में ही उनकी संवैधानिक प्रतिभा और बहुज्ञता की धाक बैठ गई। उन्होंने 'रिसायत' पत्र पर लगाये गये प्रतिबंध का विरोध करते हुये प्रेस की स्वतन्त्रता का महिमा मंडन किया।

विधान सभा में उन्होंने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किये। मेहंदीपुर मेले में लूट, पानीपत में श्री जगन्नाथ रथयात्रा पर रोक और होली के मौके पर गोलीबारी, लाहौर छावनी में सरकारी बूचड़खाने की योजना, रोहतक के गाँव असौधा में कांग्रेस के जलसे पर सशस्त्र यूनियनिस्टों का आक्रमण (जिस में लगभग सौ व्यक्ति घायल हुये, उस समय युवा कांग्रेस नेता बाबू मूलचंद जैन को इतनी चोटें आई थी कि वह मौत के मुख से वापस आये) आदि विषयों को उन्होंने प्रस्तुत किया।

इन मामलों पर व्यापक बहस हुई। काम रोको प्रस्ताव आये, बहिर्गमन भी हुआ। सरकार ने पानीपत के दोनों मामलों पर सदस्यों को संतुष्ट किया, बूचड़खाने की योजना निरस्त हुई। असौधा की त्रासदी पर खेद प्रकट किया और कुछ समय उपरांत यहां कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें अनेक राष्ट्रीय नेता पधारे।

उस समय सब से महत्वपूर्ण मुद्दा राजबंदियों की रिहाई का था। पंजाब की विभिन्न जेलों में वर्षों से सौ से अधिक राजबंदी यातनाएं झेल रहे थे। सरकार ने केवल 'मार्शल ला' के बारह बंदी मुक्त किये। विपक्ष की मांग सभी की रिहाई करने की थी। सदन में प्रस्ताव आया। श्री देशबंधु ने प्रस्ताव के पक्ष में ओजपूर्ण भाषण किया। सदन की दीर्घायें राजबंदियों के परिजनों-प्रियजनों से खचाखच भरी थीं। लाला जी ने एक घंटे के भाषण में ठोस तर्क प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा-'सम्भवत: कांग्रेस छ: प्रान्तों में शीघ्र सरकार बनाये, इनका सबसे पहला काम होगा राजबंदियों को मुक्त करना। उस समय पंजाब की जनता अनुभव करेगी कि कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों

में क्या अंतर है। इसलिये सर सिकन्दर यह काम जितनी जल्दी कर देंगे उतना ही उनके और उनके मंत्रियों के लिये श्रेयकर होगा।'

सरकार का हृदय-परिवर्तन तो क्या होना था, वह क्रूर जिद पर अड़ी रही। लाला जी के तर्कपूर्ण सुझावों के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बस कह दिया-'हमारी पार्टी राजबंदियों को छोड़ने का वचन देकर चुनाव नहीं जीती है।' इस वक्तव्य के बाद राजबंदियों ने अनशन शुरु कर दिया। उनकी सहानुभूति में जगह-जगह प्रदर्शन हुये। राजनीतिक सभाओं में सरकार के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव पास किये गये। परन्तु सरकार टस से मस नहीं हुई। पंजाब के नेता यह अनुभव करने लगे कि कुछेक अनशनकारियों की मौत के बाद भी यह सरकार झुकने वाली नहीं है। इस विचार से बाबू शामलाल, डॉ. गोपीचन्द भार्गव और लाला देशबन्धु गुप्ता लाहौर सैण्ट्रल जेल में अनशनकारियों से मिले और उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया, किन्तु सफल नहीं हो सके। आखिर महात्मा गांधी की अपील पर अनशन खत्म हो पाया।

लाला देशबंधु जन्मजात आर्य समाजी थे। उनके परिवार की प्रत्येक गति वैदिक सिद्धान्तों के अनुकूल थी। सन्ध्या, हवन, सत्संग, अनुष्ठान, आर्य-संन्यासियों का नित आतिथ्य सत्कार आदि जीवन-पद्धति के अविभाज्य अंग थे। परिवार प्रमुख ला० शादीराम न केवल स्थानीय आर्य समाज के प्रधान वरन् आर्य प्रतिनिधि उपसभा करनाल मंडल के संचालक रहे। वस्तुत: जिस घर में देशबन्धु का पालन-पोषण हुआ वह आर्य समाज का लघु संस्करण था। यौवन की ड्योढ़ी पर पहुँचते ही उन्हें स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपतराय का संसर्ग मिल गया जिनके वरद हस्त के तले देशबंधु सर्वात्मना आर्यसमाज के प्रति समर्पित हो गये।

आर्य समाज दीवान हाल दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था है। देशबन्धु कई वर्ष इसके प्रधान रहे। इस संस्था से निर्वाचित होकर वह सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधि थे। सार्वदेशिक सभा ने कई सभाओं व उप-समितियों का गठन किया था-दलितोद्धार सभा, आर्य रक्षा समिति, दक्षिण प्रचार समिति, वर्धा शिक्षा विषय समिति, आर्य समाज व राजनीति समिति, आर्य वीरदल और भारतवर्षीय आर्य कुमार सभा। इन सभी समितियों से लाला जी संबद्ध रहे।

दलितोद्धार सभा के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द थे और सक्रिय उन्नायक थे ला० देशबंधु, ला० नारायणदत्त और डॉ. सुखदेव। इन्होंने अछूतों को दिल्ली

के कुओं पर ले जाने में कड़ा संघर्ष किया। अंगूरी वाले कुएं पर रूढ़िग्रस्तों ने आर्य समाजियों पर हमला कर दिया। कइयों को चोटें आईं। निरन्तर प्रयास के बाद वे सफल हो सके। जनवरी 1924 में अखिल भारतीय दलितोद्धार सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया। इस अवसर पर विशाल सहभोज में राय साहब ला० केदारनाथ, सेठ लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, स्वामी रामानन्द, ला० देशबंधु और असंख्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मलाशियों, बाल्मीकियों व जाटवों के साथ, उन्हीं के हाथ का बना हुआ भोजन किया। ऐसे सहभोज का आयोजन अन्य स्थानों पर किया गया। अस्पृश्यता में भारी कमी आई।

13 फरवरी 1924 को आर्यसमाज तथा अन्य हिन्दू सम्प्रदायों के 87 प्रतिनिधि आगरा में एकत्रित हुये। इन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा' का संगठन किया। स्वामी जी ने शुद्धि प्रसार हेतु धन तथा कार्यकर्त्ता देने का आग्रह किया। तुरन्त पर्याप्त धन मिल गया और कितने ही कार्यकर्ता आगे आये। शुद्धि सभा के अन्तर्गत स्वामी जी और उनके साथ नेकीराम शर्मा तथा देशबन्धु जी ने देश के कई प्रान्तों में शुद्धि शाखाओं की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि सेठ जुगलकिशोर बिडला ने इस कार्य में लाखों रुपया दिया। अगामी आठ वर्ष के अंतराल में शुद्धि सभाइयों के 27 सम्मेलन हुये और 183000 विधर्मियों को शुद्ध किया गया।

शुद्धि अभियान के दिनों में कराची की एक मुस्लिम महिला श्रीमती असगरी बेगम दिल्ली आकर स्वेच्छा से शुद्ध हुई। नाम रखा गया शान्तिदेवी। उसके पति ने उसे पुनः इस्लाम में लाने का लाख प्रयास किया, पर वह मानी नहीं। तब उसके पति ने स्वामी श्रद्धानन्द, देशबंधु, इन्द्र जी और शान्तिदेवी पर मुकद्मा कर दिया। कई महीने मुकदमा चलता रहा। आखिर अदालत में अभियोग की निस्सारता सिद्ध हुई और सभी अभियुक्त स-सम्मान बरी कर दिये गये। उल्लेखनीय है कि सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री बेबी तबस्सुम इन्हीं शान्ति देवी की सुपुत्री है। इनका एक टी.वी. सीरियल 'फूल खिले गुलशन गुलशन' निरन्तर तेईस वर्ष प्रसारित हुआ। इनके पति श्री विजय गोविल हैं, जिनके छोटे भाई प्रसिद्ध सिने अभिनेता अरुण गोविल हैं।

31 मई 1934 को क्वेटा में आधी रात के समय प्रलयंकारी भूकंप से 15000 नागरिक मृत्यु का ग्रास बन गये। घायलों की संख्या लाख से अधिक पहुँची। क्वेटा की सहायतार्थ लालाजी ने युवाओं का आह्वान किया। आर्यवीर

दल के सैकड़ों युवा क्वेटा जाने के लिये तुरन्त कटिबद्ध हो गये। लाला जी ने सौ युवक साथ लिये और शेष को राहत सामग्री जुटाने में लगाकर क्वेटा को प्रस्थान किया और 2 जून अपरान्ह हृदय-कंपन चीत्कारों के मध्य खेमें गाड़ दिये। आर्यवीरों ने टोकरियाँ व कुदालें उठा लीं और भग्न-भवनों के मलवे से मृतकों व घायलों को निकालना शुरु किया। मृतकों की अन्त्येष्टि की गई। घायलों को प्रथमोपचार के बाद समीपस्थ अस्पतालों में दाखिल किया गया। दो दिन के बाद प्रादेशिक सभा द्वारा भेजा गया मैडिकल मिशन और डी.ए.वी.कॉलेज लाहौर से छात्रों का जत्था क्वेटा पहुँच गया जिससे लालाजी का कार्य सफल हो गया। हजारों की संख्या में क्वेटा के विस्थापितों ने दिल्ली में शरण ली। इनके लिये लालाजी ने शिविर स्थापित किये। घर-गृहस्थी का सामान प्रदान कर उनके घर बसाने में सहायता की। असहाय स्त्रियों को आर्य समाज द्वारा संचालित विविध आश्रमों में दाखिल कराया। अनाथ बच्चे पटौदी हाउस अनाथालय में रखे गये। इन सभी प्रक्रियाओं में अग्र शिरोमणि ला० देसराज चौधरी सहायक बने।

पुनर्जन्म की घटना का प्रतिपादन

श्री देशबन्धु गुप्ता हिन्दू-वैदिक-धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में भी हमेशा अग्रणी रहे। वैदिक धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धान्त में उनकी दृढ़ आस्था थी। सन् 1936 में दिल्ली के नई सड़क क्षेत्र के चीराखाना मौहल्ले में एक कायस्थ परिवार में जन्मी शांतिदेवी नामक एक बालिका ने अपने पूर्व जन्म की बातें बताकर सनसनी फैला दी थी। शांतिदेवी ने बताया कि वह पहले जन्म में मथुरा के एक चतुर्वेदी पंडित परिवार की बहू थी। देशबंधु जी को जब इसका पता चला तो उन्होंने स्वयं रुचि लेकर शांतिदेवी को मथुरा भिजवाया। शांतिदेवी ने मथुरा पहुंचते ही अपने पहले जन्म के परिवारीजनों को पहचान लिया, स्वयं अपनी ससुराल के घर में पहुंच गई तथा पहले जन्म की सभी सत्य बातें बताकर सबको आश्चर्य चकित कर दिया।

देशबन्धु जी ने 'तेज' के 1936 के अंक में शांतिदेवी की चमत्कारिक घटना को चित्रों सहित प्रकाशित कर लिखा—'वैदिक धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धान्त सोलह आने सत्य है, यह इस घटना से प्रत्यक्ष हो गया है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त को अब झुठलाया नहीं जा सकता।'

उन्होंने 'कल्याण' तथा अन्य पत्रिकाओं के लेखक भक्त रामशरणदास 'पिलखुवा' को शांतिदेवी के चित्र व वृतान्त भेजते हुए घटना को धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की प्रेरणा दी। इतना ही नहीं वे समय-समय पर भक्त जी के 'कल्याण' में प्रकाशित पुनर्जन्म व लोक-परलोक सम्बन्धी लेख पढ़कर उन्हें बधाई भेजते रहे।

बूचड़खाने का विरोध

1937 में पंजाब सरकार ने 75 लाख रुपये की लागत से लाहौर छावनी में वृहद् मशीनी बूचड़खाने खोलने का निर्णय किया। इससे गौभक्तों में हलचल मच गई। लाला देशबन्धु ने इस निर्णय को निरस्त कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जनमत जुटाने में सक्रिय हो गये। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया। राष्ट्रीय नेताओं तथा पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखे, तारें भेजी। गांधी जी से उत्तर आया-'मैं निश्चय ही लाहौर के बूचड़खाने के विरुद्ध हूँ, बल्कि सभी बूचड़खानों के विरुद्ध हूँ। यदि मुसलमान भी साथ दें तो यह काम रुक सकता है।' लाला देशबंधु ने उत्तर भारत के बड़े-बड़े नगरों में जनमत तैयार करने के लिये सभायें आयोजित कीं। 19 अगस्त को गांधी मैदान (दिल्ली) में आर्य युवक संघ के अन्तर्गत देशभर के गोभक्तों का विशाल सम्मेलन हुआ। दिल्ली बंद रही। बीस हजार से अधिक जनता ने भाग लिया। देवतास्वरूप भाई परमानन्द, आर्य विद्वान पं. रामचन्द्र देहलवी, बिशनस्वरूप कोयलेवाले, बाबा ज्योतिशंकर दीक्षित तथा प्रो. वासुदेव ने ओजस्वी व्याख्यान दिये। भाई जी ने कहा-'जिस समय इस बूचड़खाने की इमारत बन रही थी तो जनता से भयभीत होकर यूनियनिस्ट सरकार ने यह प्रचार किया कि यह किला है, फिर बताया गया कि शीतागार (Cold Storage) है, अब मालूम हुआ कि यहाँ प्रतिदिन चार हजार गाय-बैल काटे मारे जायेंगे। ऐसा दूसरा बूचड़खाना केवल वाशिंगटन में है।' जिस समय उन्होंने गौओं के काटने की विधि का विस्तार से वर्णन किया, श्रोताओं की आँखों में आँसू भर आये। लाला देशबंधु ने अध्यक्षीय भाषण करते हुये कहा-'खिज़र हैयात खाँ की यह हिम्मत कि उस देश में जहाँ गाय लोगों की श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु है वह इतना बड़ा बूचड़खाना खोले। उसे मालूम होना चाहिये कि इस देश के महान आराध्य भगवान कृष्ण को 'गोपाल' पुकारते

हैं। रघुवंश के प्रतापी राजा दलीप ने गौरक्षा में अपने प्राण भी दाव पर लगा दिये थे। मुख्यमंत्री को यह भी पता होना चाहिये कि हिन्दुओं की भावनाओं को समझते हुये मुगल बादशाहों ने भी गौ-हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। अफगानिस्तान और चीन में भी यह काम बंद है। मेरी तो यह दृढ़ धारणा है कि जब तक हम दूसरों के दास हैं हम अपने धर्म एवं संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। अगर पंजाब सरकार ने यह घिनौना निर्णय रद्द नहीं किया तब हमें सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गौभक्त जनता तैयार रहे। लालाजी के निरन्तर प्रयास से चारों तरफ आन्दोलन का माहौल बन गया। परिणामस्वरूप पंजाब सरकार को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी।

शरणार्थियों की सेवा

भारत-विभाजन के बाद पाकिस्तान से लाखों हिन्दू व सिख अपना घर-बार, सम्पत्ति और कारोबार छोड़कर भारत आने लगे। शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या अतीव गम्भीर थी। उन लोगों के पास न खाने-पहनने का सामान था और न निर्वाह के लिये धन। वे शोकातुर थे, क्योंकि उनके परिवार छिन्नभिन्न हो गये थे। नर-नारी बच्चे अलग-अलग होकर भारत के विविध भागों में मारे-मारे फिरने लगे। इन कष्ट ग्रस्तों की सेवा-सहायता के लिये आर्यसमाज आगे आया। जगह-जगह 'आर्य सेवा समितियाँ' स्थापित की गईं- आर्यवीर दल के स्वयंसेवक दिन-रात सेवा करने लगे। दिल्ली में उन दिनों दर्जनों रेलगाड़ियां प्रतिदिन आ रही थीं। जिनमें हजारों शरणार्थी नीचे ऊपर भरे होते थे। भूखे, प्यासे, अस्वस्थ ये लोग जब दिल्ली स्टेशन पर पहुँचते, लाला देशबंधु, चौधरी देसराज और डॉ. युद्धवीरसिंह के साथ आर्यवीर दल के सैकड़ों युवक उनका स्वागत करते, उन्हें शिविरों में ले जाते और उनकी खाने-पहनने की समस्याओं का समाधान करते। आर्य समाज ने शरणार्थियों के अस्थाई निवास के लिये अपने मन्दिर तथा शिक्षण संस्थानों के भवन खोल दिये। आर्य समाज दीवान हाल के विशाल भवन में शरणार्थी नीचे ऊपर भर गये और महीनों रहे।

उजड़ कर आये हुये इन दुखी लोगों के हितार्थ देशबंधु के अंतर्ताप का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव से उन्हें मकान व रोजगार उपलब्ध करवाये। विस्थापितों की सहायता करने में उनका समय, लगन और

पौरुष इतना समर्पित था कि उनकी तुरंत आवश्यकता हेतु वह अपने घर का सामान तक उठाकर दे दिया करते।

राष्ट्रीय संविधान सभा में 'सी' राज्यों के लिये स्वायत्त शासन देने की मांग उठी। इसकी पुष्टि में दिल्ली के प्रतिनिधि लाला देशबंधु ने तर्क दिया- 'शरणार्थियों के आने से दिल्ली प्रदेश की जनसंख्या बीस लाख से अधिक पहुँच गई है, इसलिये अब हमें दिल्ली के नागरिकों को स्वायत्त शासन देना चाहिये।' लालाजी की इस बात पर सरदार पटेल बोले-'माननीय देशबंधु जी, दिल्ली के लोगों को आप क्या क्या दोगे। आप की तो बात ही निराली है, किसी को तवा दे दिया किसी को चिमटा।' लाला जी ने तुरन्त कहा- 'सरदार महोदय, मेरे हाथ देते हैं, लेते नहीं।'

भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं के रूप में करोड़ों की सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई। इसकी क्षति पूर्ति के लिए 1 जनवरी 1948 को आर्य महा सम्मेलन कलकत्ता में व्यापक विचार विमर्श किया गया। प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने ऐसे आर्य नेताओं की समिति गठित की जिन का सरकार में प्रभाव था। लाला देशबन्धु समिति के संयोजक नियुक्त किये गये। लाला जी ने यह दायित्व लगन से निभाया। उनके प्रयत्नों से सैकड़ों निष्क्रान्त हुये मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं के भवन आर्य स्कूलों तथा कॉलेजों को प्राप्त हुये। जिन्हें भवन नहीं मिल सके उनके पुनर्स्थापन हेतु उचित क्षतिपूरक राशि की व्यवस्था की गई।

हैदराबाद सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका

आर्य समाज का हैदराबाद सत्याग्रह इतिहास का एक रोमांचक अध्याय है। मुस्लिम शासित रियासत हैदराबाद में 88% हिन्दू थे। उनकी सामाजिक-धार्मिक स्वतंत्रता पर वहां की निजाम सरकार ने तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये हुए थे। इन्हें निरस्त करने में प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को कड़ा संघर्ष करना पड़ा।

31 जनवरी 1939 को आर्य नेता महात्मा नारायणस्वामी ने सैकड़ों सत्याग्रहियों के साथ ओ३म् का झंडा लेकर हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश किया। उन्हें बन्दी बना लिया गया। निजामशाही के इस क्रूर कार्य से सारे देश में बेचैनी फैल गई। स्वामीजी की गिरफ्तारी से सत्याग्रह आन्दोलन को इतना

बल मिला कि देश के हर कोने से आर्य वीरों के जत्थे हैदराबाद की ओर कूच करने लगे। कुछ ही महीनों के अन्तराल में हैदराबाद की स्थाई अस्थाई सभी जेलें सत्याग्रहियों से खचा-खच भर गईं। बर्मा और नैरोबी से भी सत्याग्रही आये। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के जगत्गुरु शंकराचार्य ने घोषित किया—'मैं लाखों साधुओं के साथ सत्याग्रह करुंगा।' जेलों में बंद पड़े हुये सत्याग्रहियों को दी जा रही घोर यातनाओं पर केन्द्रिय विधान सभा में प्रश्न उठे। वाइसराय ने इस आन्दोलन के बारे में पूछताछ की।

महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती तथा वन्देमातरम् रामचन्द्रराव जैसे नेता भी जेल गये। उधर महान स्वाधीनता सेनानी वीर सावरकर के आह्वानपर सैकड़ों हिन्दू सभाई भी सत्याग्रह में कूद पड़े। इन सब बातों से निजाम सरकार पर वांछनीय प्रभाव पड़ा और उसने 19 जुलाई को नये सुधारों की घोषणा कर दी। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने नवीन सुधारों को स्वीकार करते हुए कुछेक धार्मिक अनुष्ठानों से संबद्ध घोषणा पर स्पष्टीकरण चाहा। इस हेतु सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त हैदराबाद के उच्चाधिकारियों से मिले। निजाम सरकार ने स्पष्टीकरण देने से इंकार किया। जब सभा इस स्पष्टीकरण पर अड़ गई तो निजाम ने सभा को अपना एक प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा। सभा की ओर से लाला देशबंधु गुप्ता हैदराबाद गये।

लाला जी हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर अकबर हैदरी से मिले। कई दिन की भेंट वार्ता के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। वस्तुतः रियासत में जो धार्मिक मामलों का सरकारी विभाग 'अमूरे मजहबी' था, उसके अधिकारी नहीं चाहते थे कि हिन्दुओं को सम्पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाये। इस गति अवरोध की स्थिति में श्री घनश्यामसिंह गुप्त और लाला देशबंधु गुप्ता ने यह सारा विवाद गांधी जी के सामने रखना उचित समझा।

यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमान नेताओं ने गांधी जी के मन में आर्यसमाज के प्रति भ्रान्तियाँ उत्पन्न की थीं। जिनके प्रभाव से उन्होंने 28 मई 1924 के 'यंग इंडिया' अंक में स्वामी श्रद्धानन्द एवं आर्यसमाज के लिए अवांछनीय पंक्तियां लिखीं। इससे आर्य समाजी क्षेत्रों में तूफान उठ गया। प्रतिवाद में उन्हें तारें व पत्र भेजे गये तथा शिष्टमंडल मिले। आर्यसमाज के प्रति गांधी जी के भ्रम दूर करने में लाला देशबंधु नें अग्रणी भूमिका निभाई।

1 अगस्त 1939 को श्री गुप्त और लाला देशबंधु गाँधीजी से मिले और बताया कि निजाम सरकार कुछेक मुद्दों को स्पष्ट करने में आनाकानी कर रही

है। गांधी जी ने आर्यसमाज की इन मांगों का समर्थन किया और सर अकबर हैदरी को तार भेजी। परिणामत: 8 अगस्त को निजाम ने विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसके द्वारा आर्यसमाज की सभी मांगें मान ली गईं।

पुनः जेल में

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी देशबंधु पुनः जेल भेजे गये। इस बार यह 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' था जिसे गांधी जी ने सीमित संघर्ष के रूप में 7 अक्टूबर 1940 से आरम्भ किया। इस समय ब्रिटिश सरकार दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई घोर विपदाओं से घिरी थी। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि इसे इतना परेशान करें कि वह युद्ध हार जाये। इसी सोच से उन्होंने व्यापक सार्वजनिक आन्दोलन नहीं छेड़ा। यह सत्याग्रह एक अनुपम प्रयोग था। एक समय में एक मंच से एक कट्टर अहिंसावादी, अनुशासन की डोर से बंधा हुआ व्यक्ति सत्याग्रह करता था। नित्यप्रति चरखा कातने की शर्त भी थी। प्रान्तीय कांग्रेस समिति अपने सत्याग्रहियों का सूची पत्र वर्धा भेजती, प्रत्येक की समीक्षा के बाद गांधी जी अनुमति देते कि कौन सा नाम स्वीकार है, वह कब जेल जायेगा। सत्याग्रही प्रशासन को पूर्व सूचना भेजकर नियत दिन को थोड़े से शब्द बोलकर सत्याग्रह करता-'यह पाप का युद्ध है, इसके संचालन के लिये कोई भी भारतवासी ना दे भाई, ना दे पाई।' प्रथम सत्याग्रही बनने का श्रेय आचार्य विनोबाभावे को मिला। डांडी कूच में भी वह सबसे आगे थे। तदनन्तर नेहरू जी व सरदार पटेल बंद हुये।

पंजाब के विधायकों में लाला देशबन्धु, दीवान चमनलाल और स. सम्पूर्ण सिंह को अनुज्ञा मिली। लाला जी का नाम दिल्ली के सौ व्यक्तियों की सूची में भी था। उन्होंने दिल्ली में सत्याग्रह करने का मन बनाया। 29 नवम्बर को पंजाब विधान सभा में खाकसारों पर गोली चलाये जाने के मामले पर बहस के बाद रात्रि में लाला जी दिल्ली आ गये। प्रातः सूचना मिली आसफअली को गिरफ्तार करने पुलिस उनके मकान पर है। उन्होंने अपने परम मित्र ओंकारनाथ को साथ लिया और आसफअली को विदा करने उनके निवास पर गये। पुलिस ने उन्हें देखा। हैरान हुई कि देशबंधु लाहौर में नहीं, दिल्ली में है। देशबंधु वापस आये। पुलिस प्रतीक्षा कर रही थी। भा.द.वि. की धारा 34 तथा 38 के तहत वह बंदी बना लिये गये। जेल

प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने भीड़ को सम्बोधित किया-'महात्मा गांधी हमारे परम पूज्य हैं। वह विश्वसनीय एवं वीर सेनापति हैं। हमें पूर्ण आस्था से उनका अनुसरण करना चाहिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति का यही सबसे उत्तम उपाय है।' अदालत ने लाला जी को एक साल सख्त कैद की सजा सुनाई। श्रेणी ए दी। गुजरात की स्पेशल जेल में रहे। यहां थे-आसफअली, मूलचंद जैन, आनन्द स्वरूप (रोहतक), बलवंत राय तायल और शामलाल (हिसार)।

कुछ मास गुजरने पर किसी राजबंदी ने पंजाब उच्च न्यायालय में याचिका दी कि अपराध करने की मात्र इच्छा प्रकट करने पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। खण्ड पीठ ने इसे स्वीकार कर लिया। पंजाब की जेलों से ऐसे सभी राजबंदी मुक्त कर दिये गये जिन्हें सत्याग्रह किये बिना गिरफ्तार किया गया था। देशबंधु, आसफअली, बहाल सिंह, बिहारी और अन्य जेल से रिहा हुये। दिल्ली के लोगों ने भव्य स्वागत किया। रात्रि को इनके सम्मान में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया।

सन 42 के सेनानी

1942 के प्रारम्भ में भारत पर जापान का आक्रमण मंडराने लगा। भारत अपनी रक्षा स्वतंत्र होकर ही कर सकता था। परन्तु क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद स्वतंत्रता की बात कही जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में ऐतिहासिक प्रस्ताव 'अंग्रेजों, भारत छोड़ो' पास कर दिया गया। प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु 7 अगस्त को मुम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बुलाई गई। विभिन्न प्रदेशों के 1200 प्रतिनिधि और हज़ारों कार्यकर्ता गवालियां टैंक मैदान में एकत्रित हुये। दिल्ली का प्रतिनिधित्व देशबंधु, अरुणा आसफअली तथा नूरुद्दीन ने किया। प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा परिचर्चा हुई और बहुमत ने इसे अनुमोदित कर दिया। 8 अगस्त रात्रि के प्रथम पहर में महात्मा गांधी ने राष्ट्र को सम्बोधित करना शुरु किया। पूरे दो घंटे बोले। गांधी जी में इतना जोश पहले कभी नहीं देखा गया।

सूर्योदय से पूर्व महात्मा गांधी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। शेष बचे वरिष्ठ नेताओं ने गिरफ्तारी से बचने की नीति अपनाई ताकि जनता का सही मार्ग प्रदर्शित करके आन्दोलन को अधिक ऊर्जावान रखा जा सके। तीस-पैंतीस प्रतिनिधि चौपाटी के एक मकान में

इकट्ठे हुये। उन में ला० देशबंधु गुप्ता, पं. नेकीराम शर्मा, श्री मोहनलाल सक्सैना, श्री चोइथ राम गिडवानी, श्रीमती अरुणा आसफअली, श्रीमती सुचिता कृपलानी तथा दक्षिण भारत के प्रखर नेता थे। विचारणीय विषय यह था कि प्रस्ताव पत्रों में छप नहीं सकता, डाक से भेजें तो लेटरबाक्स जलाये जा रहे हैं। ऐसी हालत में करें तो क्या करें? यहां मुम्बई में जो कुछ हुआ इसका समाचार लोगों को कैसे मिले? अन्त में यह तय हुआ कि प्रस्ताव के आधार पर एक कार्यक्रम टाइप कराकर सब जगह भेजने का प्रयत्न किया जाये। बहस के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गयी। यहां कुछ नेताओं ने हिंसा का उत्तर हिंसा से देने की बात कही, कुछेक तोड़फोड़ के पक्ष में थे। इन बातों के स्पष्टीकरण के निमित्त गांधी जी के सचिव श्री प्यारेलाल बुलाये गये। उन्होंने अहिंसा अपनाने पर बल दिया। अंत में कार्यक्रम की टाइप की हई प्रतियाँ लेकर सभी अपने अपने प्रान्तों के लिये चले गये।

11 अगस्त को देशबंधु और कुछ अन्य नेताओं ने दिल्ली की गाड़ी पकड़ी। लाला जी के पास रहे ड्राइवर अस्सी वर्षीय स० चरणसिंह ने बताया-'लाला जी की कोठी पर पुलिस थी और हमें खबर मिली कि वह आ रहे हैं। मैं उन्हें लेने आगरा स्टेशन पर पहुँच गया। ग्यारह कांग्रेसी उतरे। दिल्ली की खबरें सुनी। कुछ को छोड़ कर शेष माल गाड़ी में बैठ गये और मुझे निजामुद्दीन मिलने की आज्ञा हुई। निजामुद्दीन स्टेशन से मैं उन्हें जोशी अस्पताल (करौल बाग) ले आया।' इस प्रकार जिन की प्रतीक्षा में पुलिस बेचैन थी, जिन्हें धर दबोचने के लिये मुम्बई से आने वाली प्रत्येक गाड़ी घेर ली जाती थी, वह लाला देशबंधु गुप्ता गुप्त रूप से शहर में आ गये। उन्होंने गोरखा सिपाही की वर्दी पहन ली और अज्ञात में रहकर आन्दोलनकारियों का नेतृत्व करने लगे।

9 अगस्त को आन्दोलन का प्रारम्भ सभी जगह हड़ताल से हुआ। दिल्ली के नेता मुम्बई अधिवेशन से अभी लौटे नहीं थे, या गिरफ्तार कर लिये गये, कुछ भूमिगत हो गये। इसलिये उत्तेजना में भी जनता नेतृत्व विहीन थी। 9 अगस्त की प्रातः कुछ कार्यकर्त्ता एकत्रित हुये। विचार-विमर्श के बाद आन्दोलन का नेतृत्व करने के निमित्त बहन सत्यवती और अग्रवाल शिरोमणि श्रीमती पार्वती डिडवानिया से आग्रह किया गया। सत्यवती जी अस्वस्थ थीं। इसलिये सारा दायित्व पार्वती जी ने सम्भाला। वह एक क्रान्तिकारी महिला थीं। उन्होंने सन् 21, सन् 42 प्रत्येक अवसर पर गांधी जी के आदेश का पालन किया और

जेल गई। उनके पति भी निरन्तर जेलों के यात्री बने। 9 और 10 अगस्त को इस तूफानी महिला ने दिल्ली हिला दी।

दोपहरी झुकते ही हड़ताल के सन्नाटे में हजारों लोग अजमेरी गेट पर जुड़ गये। पार्वती डिडवानिया के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा। तिरंगा उठाये 'अंग्रेजों, भारत छोड़ दो' ललकारती हुई पार्वती जी का विकराल रूप और जनता का जोश देखते ही बनता था। आन्दोलन में तीव्रता लाने के लिये जन-जाग्रति हेतु उन्होंने नगर में प्रवेश किया। लोग जुड़ते गये। दिल्ली के मुहल्लों-बाजारों में जुलूस आगे और पुलिस पीछे भागती रही। जुलूस चावड़ी बाजार, हौजकाजी, नयाबांस, खारी बावली और फतेहपुरी से गुजरता हुआ चांदनी चौक, नई सड़क और आगे दरियागंज में दाखिल हुआ। बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के निमित्त पुलिस ने कंटीली तारों से अवरोधक लगाये हुए थे। मोड़-चौराहों पर लाठी चार्ज हुआ। प्रतिक्रिया में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। कुछ तोड़-फोड़ हुई। जुलूस आगे कनाट प्लेस तक पहुँचा। यहां पार्वती जी ने अगले दिन प्रातः चांदनी चौक में झंडा-समारोह की घोषणा की। अंधेरा होने से पहले जुलूस विसर्जित कर दिया गया।

10 अगस्त की प्रातः 10 बजे हजारों महिलाओं-पुरुषों के साथ पार्वती ने झंडा अभिवादन की औपचारिकतायें पूरी की। जोशीले भाषण के बाद जुलूस गत दिवस की पुनरावृत्ति करते हुये नई दिल्ली के मार्ग पर बढ़ने लगा। मार्ग में लोगों ने गाड़ियां तथा ट्रामें रोकी और यात्रियों से साथ चलने का आग्रह किया, बिजली के खम्बों को भी हानि पहुँचाई। मिन्टो ब्रिज पर पार्वती जी गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस ने जनता पर भारी लाठी चार्ज किया। पार्वती जी की गिरफ्तारी और भयंकर लाठीचार्ज से शहर में उत्तेजना भड़क उठी। 11 अगस्त से लोग तोड़-फोड़ व आगजनी पर उतर आये।

श्री विश्वबन्धु गुप्ता

'भारत छोड़ो' आन्दोलन कोई सत्याग्रह या 'जेल भरो' आन्दोलन नहीं था। इसे 'अगस्त क्रान्ति' कहते थे। अन्य महानगरों की तरह दिल्ली के मजदूर, छात्र, किसान, व्यापारी और छोटे कर्मचारी 'करो या मरो' के इरादे लेकर अंग्रेजी राज के चिह्न नष्ट करने में जुट गये। पीली कोठी, टाउनहाल और सब्जी मंडी, चांदनी चौक, पहाड़गंज तथा नई दिल्ली के डाकखाने फूंक दिये गये। रेल की पटरियाँ उखाड़ी,

सिंगनल तोड़े, नगर पालिका और कई सरकारी दफ्तरों के रिकार्ड नष्ट किये। सरकारी इमारतों पर तिरंगे लहराये गये। प्रारम्भिक चार पांच दिन में पुलिस ने लगभग पचास बार गोली चलाई। डेढ़ सौ से अधिक लोग शहीद हुये।

तोड़फोड़ की इन घटनाओं के लिये प्रशासन ने लाला देशबंधु, श्री जुगलकिशोर खन्ना और श्रीमती अरुणा आसफअली को जिम्मेवार ठहराया और फरार घोषित कर दिये गये। लालाजी को आतंकित करने के लिये उनके पन्द्रह वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र विश्वबंधु जी के गिरफ्तारी के वारंट निकाले गये। वह दो वर्ष भूमिगत रहे। दिसम्बर 1944 में पकड़े गये। लाला देशबंधु की मुख्य भूमिका समाचारों की व्यवस्था करने की रही। हस्त-मुद्रण यन्त्र पर प्रतिदिन हजारों बुलेटिन छापने, वितरित करने और दीवारों पर चिपकाने की प्रक्रिया में उनके साथ असंख्य कार्यकर्ता सक्रिय थे। अखबार बंद थे. कुछ दैनिक साप्ताहिक हो गये जिनमें 'तेज' भी एक था। बुलेटिन के अलावा लाला देशबंधु 'तेज' के माध्यम से दिल्ली के मुख्य समाचार प्रकाशित करते रहे। तेज में कार्यरत श्री जे.पी.गुप्ता ने बताया 'एक दिन लालाजी कार्यालय में आये। सूट-टाई में थे, ऐसा लिबास उन्होंने पहले कभी नहीं पहना था। हम पहचान नहीं सके। उन्होंने भाई जियालाल से बात की और कुछ कागज प्रकाशनार्थ सौंपे और चले गये।' देशबंधु कभी कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी पंजाब में भी जाते रहे। 16 नवम्बर को दिल्ली में डॉ. युद्धवीरसिंह के निवास से वह गिरफ्तार कर लिये गये। अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। मियांवाली, लाहौर और मुलतान की जेलों में रहे। यह उनकी सातवीं और अन्तिम जेलयात्रा थी।

मियाँवाली जेल की बात है-यहां नेताजी सुभाष बोस के साथी एवं परम भक्त श्री रामकिशन गुप्ता भी थे और दिल्ली के एक बड़े कांग्रेसी श्री सादिक अली भी। एक दिन सादिक अली चरखा कात रहे थे। गुप्ताजी सामने से गुजरे। सादिकअली ने उन्हें आवाज देकर पास बुलाया और परिहास करते हुये उन्हें नेताजी की एक भौंडी अपमानजनक तस्वीर दिखाई। अपने आराध्य नेता के प्रति यह अनादर गुप्ता जी कैसे सह लेते। उन्होंने चरखा उठाया और सादिकअली पर दे मारा। वह लहू लुहान हो गये। लाला देशबंधु और पं.श्रीराम शर्मा ने बीच में पड़कर उन्हें गले मिलाया।

मुलतान जेल में जो खराब भोजन मिला उसे खाने से लाला जी को पीलिया ने ग्रस लिया। हालत बिगड़ गई। जीवन खतरे में देखकर सरकार ने जून 1944 में उन्हें रिहा कर दिया। वह दिल्ली लाये गये। रेलवे स्टेशन पर स्वागत के लिये

दिल्ली और आसपास के हजारों लोग उपस्थित थे। लाला जी को स्ट्रेचर पर लिटाकर गाड़ी से उतारा गया। अपने नेता की चिन्ताजनक दशा देखकर जनता क्षोभ विह्वल हो गयी। लाला जी ने जनता का धन्यवाद करना चाहा, किन्तु बैठ नहीं सके और उसी हालत में कर बद्ध कर अभिवादन कर दिया।

कुशल पत्रकार

पत्रकारिता क्षेत्र में देशबंधु गौरव के साथ स्मरण किये जाते हैं। जीवन भर वह 'तेज' के प्रबंध-सम्पादक रहे। यह दैनिक उर्दू पत्र 1923 में स्वामी श्रद्धानन्द ने आर्यसमाज तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रचार के उद्देश्य से शुरु किया था। इसका प्रथम अंक 7 नवम्बर को लाला जी के सम्पादन में निकला। लालाजी की भाषा सरल, सजीव व सामान्य समझ के अनुरूप थी। वह युग उर्दू-पत्रकारिता के अनुकूल था। अतः पत्र को त्वरित गति से लोकप्रियता मिली।

देशबंधु ने सत्य और स्पष्टवादिता की नीति अपनाई। वह उग्र-राष्ट्रीयता की भावनाओं से अनुप्राणित युवा थे। फ्रान्सीसी लेखक वाल्तेयर की तरह उनकी लेखनी में आततायी के लिये चुभन थी। अतः सम्पादन करते हुये अभी छः महीने ही गुजरे थे कि सरकार के विरुद्ध लिखने के कारण प्रेस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिये गये। मुकद्मा चला। एक वर्ष दिल्ली की जेल में रहे।

23 दिसम्बर 1926 को स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान के बाद 'तेज' के संचालन का दायित्व लालाजी पर आ गया। जिसे उन्होंने स्वामी जी के बलिदान से बल संचय करके निभाया। उन्हें अपना मार्गदर्शक मानकर देश में व्याप्त पाखंड, अनाचार, छुआछूत, बाल विवाह-दहेज आदि कुरीतियों के विरुद्ध खुलकर लिखा। लाहौर छावनी में यांत्रिक बूचड़खाने की योजना रद्द कराने में कसर उठा नहीं रखी। हैदराबाद-सत्याग्रह की विज्ञप्तियों सूचनाओं से जनता को नियमित अवगत कराते रहे। सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर सिंध की मुस्लिम लीगी सरकार द्वारा संभावित प्रतिबंध के प्रतिरोध में उनके असंख्य लेख प्रकाशित हुये। कोयटा-भूकंप के पीड़ितों-विस्थापितों की सहायता करने में पंजाब सरकार ने लापरवाही बरती। यदि राहत सामान-दवाइयाँ,डॉक्टर, अन्न, वस्त्र आदि समय पर पहुँचा दिये जाते तो मृतकों की संख्या में वृद्धि रोकी जा सकती थी। लालाजी ने घटना स्थल पर प्रशासन की लचर व्यवस्था तथा घायलों के प्रति सहानुभूति रहित व्यवहार स्वयं अनुभव किया था। उन्होंने चुभते हुये लेखों-सम्पादकीयों द्वारा सरकार की भर्त्सना की।'आंखों देखा हाल' देशवासियों के सामने प्रस्तुत किये। सरकार तिलमिला

उठी। पत्र की जमानत जब्त कर ली गई। इस दमनात्मक प्रक्रिया से तेज की लोकप्रियता में नये आयाम जुड़े। निर्भीकता इसके सम्पादक की विशेषता बन गई और पत्र को 'उग्र राष्ट्रवादी' समझा जाने लगा।

उनका सम्पादन का ध्येय महात्मा गांधी द्वारा संचालित राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये युवाओं को अनुप्रेरित करना था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया। पराधीन राष्ट्र के एक ईमानदार पत्रकार का कर्तव्य निभाते हुये शासन-प्रशासन की दमनकारी नीतियों, जनविरोधी कानूनों तथा जेलों में बंद राजबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध हमेशा लेखनरत रहे। साइमन कमीशन के बहिष्कार में सक्रिय भूमिका निभाई। लाहौर और लखनऊ में लाठी चार्ज तथा मद्रास में गोलीबारी की निन्दा करते हुये सरकार पर तीखे प्रहार किये।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के शुरु होते ही सरकार ने कांग्रेस पार्टी अवैध घोषित कर दी और इसके दफ्तरों पर ताले ठोक दिये। ऐसे विकट समय में तेज कार्यालय को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया। आन्दोलन का संचालन और पत्र का प्रकाशन दोनों कार्य साथ साथ होते रहे। पुलिस को इस रहस्य का पता नहीं लग सका।

देशबंधु जी प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रबल प्रवक्ता थे। पंजाब विधान सभा तथा केन्द्रीय संविधान सभा में उन्होंने ऐसे प्रत्येक बिल का विरोध किया

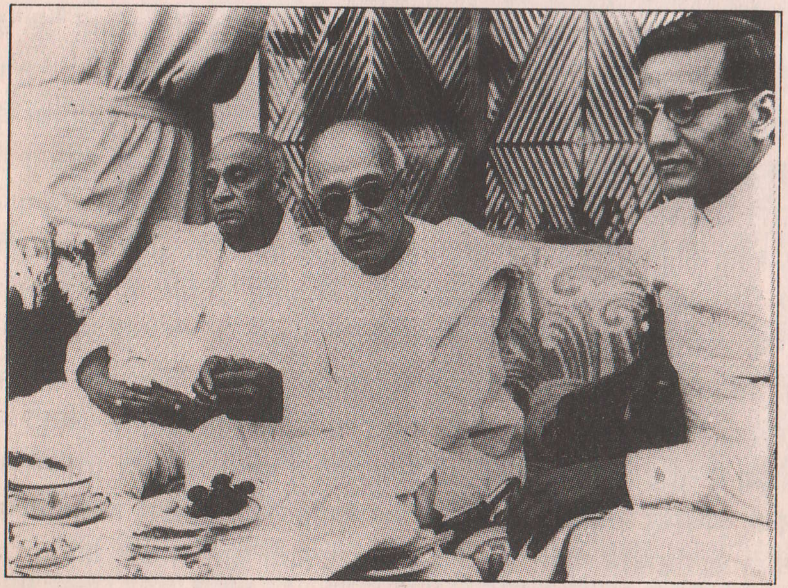

लाला देशबन्धु गुप्ता के आतिथ्य में सरदार पटेल और राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

जिससे स्वतन्त्र प्रेस के अधिकारों पर जरा भी आंच आती थी। इस बात से प्रभावित होकर देश भर के पत्रकारों ने उन्हें 'अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक संघ' का प्रधान निर्वाचित किया। लालाजी भारतीय एवं पूर्वी समाचार परिषद के संस्थापक प्रधान थे।

'तेज' ने 7 नवम्बर 1948 को अपनी रजत जयन्ती मनाई। भव्य समारोह का आयोजन लालाजी के निवास स्थान 5 कीलिंग रोड पर किया गया। असंख्य विशिष्ट व्यक्ति पधारे उल्लेखनीय हैं-गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. जाकिरहुसैन, श्री गोपालास्वामी अय्यर, आचार्य कृपलानी, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री ईश्वरसिंह कवीश्वर, मौलाना हफ़ीज उल रहमान, मुम्बई के मुख्य मंत्री श्री बी.जी. खेर, आसाम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बार्दुलयी, बख्शी टेकचंद, श्री मेहरचंद महाजन, ला० राधारमण, ला० डिप्टीमल जैन, डॉ. युद्धवीरसिंह, श्री टी.प्रकाशक और पत्रकार थे सर्वश्री देवदास गांधी, यश, वीरेन्द्र, के. नरेन्द्र, नज़ीर अहमद, दुर्गादास आदि। लगभग सौ सांसद और कितने ही प्रांतीय मंत्री। तेज के संचालक सर श्रीराम, सर शंकरलाल और ला० नरायणदत्त अभ्यागत वृन्द के स्वागत में उपस्थित थे।

समारोह का विस्तृत पंडाल खचाखच भरा हुआ था। अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए डॉ. पट्टाभिसीतारमैया, प्रधान अखिल भारतीय कांग्रेस।

पं. नेहरु ने कहा-'भारत का अपना महत्व है। यह जितना बड़ा दिखाई देता है, उससे बहुत बड़ा है। सारी दनिया में भारत का सम्मान है। हमें यह सम्मान गांधी जी की वजह से मिला। लेकिन हमारे कुछ अखबार ऐसी ओछी घटिया बातें लिखते हैं जिन्हें पढ़कर शर्म आती है। यदि भारत का कोई विरोधी उन बातों की कतरनें इकट्ठी करके पुस्तिका प्रकाशित करे तो दूसरे देशों की नज़रों में भारत गिर जाये। देश का मान बढ़ाने में कुछ पत्र अच्छा काम कर रहे हैं जिन में तेज भी एक है। जिस समय दिमागों में खराबी आ गई थी पागलपन का जोर था, तेज ने कलम को संभाले रखा।'

अक्तूबर 1949 में लाला देशबंधु ने अंग्रेजी दैनिक पत्र 'इण्डियन न्यूज क्रांनिकल' का संचालन भी संभाल लिया। यद्यपि यह उत्तर भारत में एक लोकप्रिय पत्र था, किन्तु अर्थसंकट से ग्रस्त होने से इसके संचालक इसे बंद कर रहे थे। पत्र के शुभचिंतकों के आग्रह से लालाजी ने इसके प्रबंध और संपादन का दायित्व स्वयं ले लिया।

नवम्बर 1951 में लालाजी के निधन के बाद 'तेज' 'विजय' और 'इण्डियन न्यूज़ क्रांनिकल' के प्रकाशन का सारा भार लाला जी के अनुज श्री धर्मपाल गुप्ता 'वफा' और सुपुत्र श्री विश्वबंधु गुप्ता के कन्धों पर आ गया। इन्होंने यह दायित्व लगन और परिश्रम से निभाया। 'वफा' साहब उर्दू के उद्‌भट विद्वान थे। उनकी भाषा शैली सरल, किन्तु प्रभावी थी। 1983 में दिल्ली साहित्य अकादमी ने उर्दू शायरी पर उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1985 में उनके स्वर्ग सिधारने के बाद 'तेज बंधु ग्रुप' का कार्यभार श्री विश्वबंधु गुप्ता और अनुज श्री रमेश बंधु गुप्ता ने संभाला।

सन् 1946 में भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप एक समस्या थी। जिसे हल करने के लिये 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया। तीन सप्ताह तक उसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक दलों से विस्तार से वार्ता की। कैबिनेट मिशन ने जो योजना रखी उसके अनुसार अखंड भारत का संविधान बनाने के लिये 370 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। इन में मुस्लिम लीग के 72 निर्वाचित सदस्य भी थे और वे पाकिस्तान बनाने के वास्ते दृढ़ संकल्प थे। अतः इन्होंने ऐसी संविधान सभा में बैठने से इंकार कर दिया जिस सभा ने अविभाजित भारत का संविधान बनाना था। परिणामतः गतिरोध पैदा हो गया। साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। परिस्थितियों से विवश होकर अथवा सोची समझी नीति से ब्रिटिश संसद ने 3 जून 1947 को भारत-विभाजन की घोषणा कर दी। कांग्रेस को स्वीकृति देनी पड़ी। देश का दो राष्ट्रों-भारत और पाकिस्तान में बंटना निश्चित हो गया।

मुस्लिम लीग को चुनौती

अब भारतीय क्षेत्रों के 298 सदस्यों को भारत के संविधान की संरचना करनी थी। 14 जुलाई 1947 को संसद भवन दिल्ली में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया। 298 सदस्यों में वे मुस्लिम लीगी भी थे जिन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर आदि प्रदेशों में चुनाव जीता था। लीग ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर चुनाव लड़ा था। इसलिये देश के विभाजन की घोषणा के उपरान्त भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में उन लीगियों की भागीदारी का कोई औचित्य नहीं था जिनकी भारत राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं थी।

इसलिये जब 14 जुलाई को लीगी सदस्य संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने आये तो दिल्ली से निर्वाचित प्रतिनिधि लाला देशबंधु गुप्ता ने एकदम खड़े होकर वैधानिक आपत्ति उठाते हुए कहा-'माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर करने से पूर्व मैं यह जानना चाहूँगा कि सदन के लिये उनसे यह पूछना उचित नहीं होगा कि क्या वे अब भी दो राष्ट्रों के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं? मैं मानता हूँ कि एक स्वतंत्र, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था होने के नाते तथा विभाजन के विचार से जिसका निश्चय घोषित हो चुका है, हमें सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिए और यह निश्चय करना चाहिये कि जो सदस्य लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव को, जो कि पास हो चुका है, स्वीकार नहीं करेगा, वह रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।'

यह आपत्ति उठाकर लाला देशबंधु ने पीठासीन अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद से अपना निर्णय देने की प्रार्थना की। पं. बालकृष्ण शर्मा

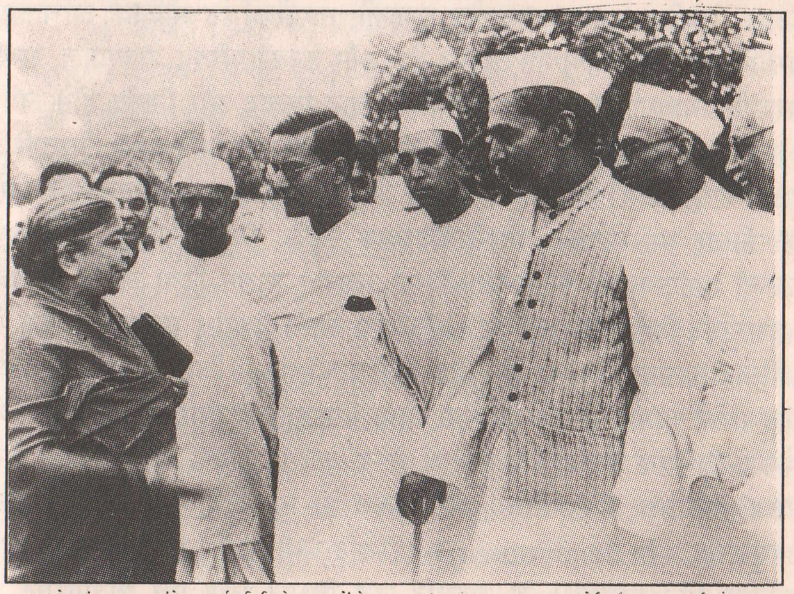

लाला देशबंधु गुप्ता-कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के मध्य डॉ. राजन्द्र प्रसाद तथा सरोजिनी नायडू आदि के साथ

'नवीन' और कुछ अन्य सदस्यों ने लालाजी की बातों का समर्थन किया। परन्तु डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने निर्वाचन की व्यवस्था में इस प्रकार की कोई शर्त न होने से लीगी सदस्यों को हस्ताक्षर करने से रोकने में असमर्थता प्रकट की। यदि लाला देशबंधु का सुझाव मान लिया जाता तो संविधान

सभा का विपुल समय नष्ट होने से बचाया जा सकता था, क्योंकि संविधान सभा की बाद की कार्यवाही में इन लीगी सदस्यों ने कदम कदम पर अडंगा डालने की नीति अपनायी।

संविधान सभा में हिन्दी भाषी प्रदेशों के कितने ही सदस्य महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी के आदर्शों एवं मान्यताओं से अनुप्राणित थे। उनका प्रबल प्रयास रहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान देश की संस्कृति की पृष्ठभूमि पर बनाया जाये। इसलिये वे राष्ट्रभाषा हिन्दी, गौरक्षा, नशाबंदी और धर्मान्तरण पर प्रतिबंध आदि विषयों के प्रखरतम प्रवक्ता बनकर रहे। उल्लेखनीय नाम हैं-श्री घनश्यामसिंह गुप्त, लाला देशबंधु, आचार्य रघुवीर, श्री धुलेकर, श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री अलगूराय शास्त्री, श्री विश्वंभर त्रिपाठी और चौधरी रणवीर सिंह।

संविधान संरचना के कार्य को सुचारु रूप से संपादित करने के निमित्त विविध समितियां बनाई गईं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी—डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 'संविधान प्रारूप समिति।'

उमंग और उल्लास के वातावरण में संविधान-संरचना-कार्य आरम्भ हुआ। संसदीय अथवा अध्यक्षीय प्रणाली, नागरिकों के मौलिक अधिकार, धर्म निरपेक्ष राज्य, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और उनकी परिषद, राज्यपाल, राज्य सरकारें, न्यायपालिका आदि विषयों पर वाद-विवाद और निर्णय होने लगे।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा सी राज्यों की स्वायत्तता का सामने आया। प्रस्तावित हुआ कि ए.बी.सी. राज्यों में प्रशासनिक भिन्नता समाप्त करके समान अधिकारों के आधार पर भोपाल, अजमेर-मारवाड़, कुर्क, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली आदि राज्यों के नागरिकों को स्वायत्त शासन दिया जाये। व्यापक बहस हुई। दिल्ली के एक मात्र प्रतिनिधि लाला देशबंधु प्रस्ताव के पक्ष में अधिक प्रबलता से मुखर थे। तीव्र विरोध भी हुआ। विशद वाद विवाद के बाद राज्यों के प्रभारी मंत्री श्री एन. गोपालास्वामी आय्यंगर ने 'सी' राज्यों से संबद्ध विधेयक पेश किया। इसमें केन्द्र शासित राज्यों में स्वशासन हेतु विधायिका तथा मंत्री परिषद का उपबंध तो कर दिया गया, किन्तु मुख्य आयुक्त (Chief Commisoner) की स्थिति ऐसी थी कि स्वायत्तता नाम मात्र की रह गई। धारा 18 के अन्तर्गत उसे विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद में उपस्थित रहकर कार्यवाही में भाग लेना था। ऐसे विचित्र व असंगत प्रावधान से 'सी' राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य उद्वेलित हो उठे। अत्यधिक प्रतिरोध की स्थिति में सम्पूर्ण विधेयक एक उप समिति को सौंप दिया गया। इसके

अध्यक्ष डॉ. पट्टाभि सीतारम्मैया नियुक्त किये गये। अन्य सदस्य थे-श्री गोपालास्वामी आय्यंगर, लाला देशबंधु गुप्ता, श्री के.सन्थानम, श्री आर.एम. पुनाचा और श्री मुकुटबिहारीलाल गोपीचन्द भार्गव। समिति ने सरकारी विधेयक में अनेक परिवर्तनों के साथ अपना विवरण-पत्र प्रस्तुत किया- 'दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्क को लैफ्टीनैन्ट गवर्नर के प्रदेश बनाये जायें। दिल्ली के सम्बंध में सिफारिश की गई कि इसके नागरिकों को स्वशासन करने के वही अधिकार दिये जायें जो देश के अन्य प्रदेशों में नागरिकों को प्राप्त हैं। पर यह भी आवश्यक है कि भारत की राजधानी का महत्व भी बना रहे। दिल्ली में उपराज्यपाल अपने मंत्रिमण्डल के सहयोग से शासन करे, जो विधान सभा के सामने उत्तरदायी हो। दिल्ली प्रदेश के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को भी दिया जाये। यदि कभी उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद में मतभेद पैदा होता है तो इसे राष्ट्रपति को भेजकर निर्णय लिया जाय। दिल्ली के लिए बजट दिल्ली विधान सभा पास करेगी। किन्तु राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकेगा।

21 फरवरी 1948 को संविधान-प्रारूप-समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में पट्टाभि समिति की सिफारिशों की पूर्णतया उपेक्षा करके दिल्ली राज्य को 'केन्द्र-शासित' ही रखा गया। जिसे देखकर दिल्ली के एकमात्र प्रतिनिधि सदस्य लाला देशबन्धु गुप्ता को अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ। प्रदेश की जनता में सनसनी फैल गयी। स्वायत्तता की मांग को लेकर शहर और आस पास के देहातों में जन सभाओं का क्रम शुरु हो गया। इन सभाओं का मुख्य विषय था-'दिल्ली-वासी स्वतंत्रता आन्दोलन में किसी से पीछे नहीं रहे, तब इन 20 लाख लोगों को स्वायत्त-शासन के अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है। इसलिए संविधान पर पुनः विचार किया जाये।'

मुद्दे को अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए लाला देशबंधु ने विश्व भर के स्वतंत्र राष्ट्रों के संविधान प्राप्त किये। चूंकि दिल्ली के स्वायत्तता के विरोधी सदस्य 'नई दिल्ली-देश की राजधानी' का दम भरते थे, इसलिए लाला जी ने राष्ट्रों की राजधानियों की शासन-प्रशासन व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। तथ्यपूर्ण तर्क तीरों से युक्त होकर उन्होंने सदन और सदन से बाहर स्वायत्त दिल्ली का आन्दोलन छेड़ दिया।

8 नवम्बर 1948 ई. को उनका ऐतिहासिक भाषण उनके संवैधानिक पांडित्य का परिचायक है। इस भाषण में लाला जी ने कहा-'भारत के प्रत्येक

प्रान्त को स्वायत्त शासन दिया गया है, किन्तु दिल्ली ने क्या पाप किया है कि प्रधानमंत्री के वचन के बावजूद इसे न्यायपूर्ण व प्राकृतिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है,...'यह भारत की राजधानी है, यहां विदेशी राजदूत रहते हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिये यह युक्ति दी जाती है पर इसका अर्थ यह कहां है कि इसके नागरिकों को उनके जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित कर दिया जाये। स्वाधीनता संग्राम में जितना योगदान दिल्ली वालों का है उतना शायद मुम्बई को छोड़कर किसी दूसरे प्रान्त का नहीं है। आज इन कुर्बानियों का फल दिल्ली की जनता को यह मिल रहा है कि इन्हें इनके जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित किया जा रहा है।' लाला जी ने इस अवसर पर राष्ट्रीय नेताओं को चेतावनी दी कि यदि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया तो सरकार और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध उत्तेजना भड़क सकती है।

अगामी अढ़ाई वर्ष के अन्तराल में यह महत्वपूर्ण विषय पक्ष और विपक्ष के तर्कों से गुजरता रहा। आखिर लाला देशबंधु के सतत प्रयास से दिल्ली प्रदेश को 42 इकाइयों और 48 सदस्यों की विधान सभा दे दी गई। परन्तु विधेयक में असंख्य संशोधन पास किये गये। जिनसे कार्यपालिका की शक्तियां इतनी सीमित कर दी गईं कि स्वायत्त राज्य अपंग बनकर रह गया।

राष्ट्रोत्थान के परिवेश में देशबंधु ने महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रतिपादित किया। उनका यह विश्वास था कि लोकांक्षाओं की अभिव्यक्ति-सम्पत्ति, शक्ति और साम्प्रदायिक एवं जातिगत संकीर्णता से मुक्त होनी चाहिए। अनेकता में एकता, प्रतिकूलता में अनुकूलता और स्वार्थ पर लोक-कल्याण की प्रतिष्ठा में वह हमेशा प्रयत्नशील रहे। दरिद्रनारायण की सेवा सर्वोपरि समझी। शोषितों-दलितों के उत्थान के लिये उनके कृत्यों की कहानी बहुत लम्बी है।

वे पंथ-निरपेक्षता तथा सर्ववर्गीय एकता के प्रबल समर्थक थे। वर्तमान भारत के कतिपय राष्ट्रीय नेताओं की तरह देशबंधु यह नहीं मानते थे कि धर्म और धार्मिकता एक अर्थक हैं। उनकी मान्यता थी कि धर्म और राजनीति का समन्वय राष्ट्र के लिए हितकर है। वह इस ख्याल के कतई विरुद्ध थे कि हिन्दुओं के संगठित होने से उनका अहिन्दुओं से टकराव होगा। वस्तुतः लाला लाजपतराय,स्वामी श्रद्धानन्द और महामना मालवीयजी के विचारों के अनुसार देशबंधु देश के बहुसंख्यक हिन्दू समाज को संगठित और अनुशासित देखना चाहते थे। वह समझते थे कि देशभक्त हिन्दुओं की अनुशासित शक्ति से ही अराष्ट्रीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

राजनीति में वह नैतिकता के हामी थे। उनकी राजनीति जीवन मूल्यों की थी। वे दुराव, प्रपंच, कूटनीतिपूर्ण हथकंडों से कोसों दूर रहे। पार्टी में तोड़फोड़ गुटबंदी की गोटियां बिछाकर आगे आने से हमेशा परहेज किया। आचार्य कृपलानी और राजर्षि टंडनजी के मध्य कांग्रेस प्रधान के चुनाव में वे निष्पक्ष रहे। पं. नेहरु और सरदार पटेल में कितनी दूरी थी-देशबंधु का इससे कोई सरोकार नहीं रहा। नेहरु परिवार से जुड़े प्रथम पंक्ति के नेता, किन्तु पटेल से भी घनिष्ठता। दिल्ली में सरदार पटेल कई बार लाला जी के अतिथ्य में रहे।

वे स्वतंत्रता संग्राम के अनाहूत सेनानी थे। जब भी गांधी जी ने संघर्ष का शंख बजाया, देशबंधु तुरन्त आगे आये, मुड़कर नहीं देखा। सन् 21 से सन् 42 तक सात बार जेल गये। जवानी का बड़ा भाग लोह-शिकंजों के पीछे बिता दिया। 1932 में धर्मपत्नी ने भी अपनी बालिका निर्मला के साथ कारागार के द्वार खटखटाये। ज्येष्ठ पुत्र ने भी परिवार की परंपरा का पालन किया। लगभग 10 वर्ष घर पर पुलिस का आतंक बना रहा। बार-बार छापे और तलाशियां हुईं।

दिल्ली के विकास के आकांक्षी

पानीपत लालाजी की जन्मभूमि तो दिल्ली थी कर्मभूमि। 1923 में जेल से मुक्त होकर उन्होंने दिल्ली में स्थाई निवास कर लिया। स्वल्प समय में वह दिल्ली के जन-जीवन में इतने घुल मिल गये कि इसका चहुंमुखी विकास उनके चिंतन में बस गया। शहर की संकरी सड़कों, मलदूषित बस्तियों, ध्वनि प्रदूषण और दिनोदिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर देशबंधु मन ही मन कुढ़ा करते। प्रगति में गतिहीन दिल्ली महानगर के लिये प्रायः कहा करते थे-

कोल्हू के बैल से कुछ कम नहीं है,
चला उम्र भर पर जहां था वहीं है।

लाला जी की यह उत्कंट इच्छा थी कि भारत की राजधानी विकसित होकर पेरिस और लंदन की तरह सौन्दर्य नगरी की ख्याति प्राप्त करे। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने स्वायत्त दिल्ली राज्य प्राप्त करने के निमित्त घोर संघर्ष किया। इस कार्य में भले ही उन्हें अपने वरिष्ठ सहयोगी नेता पं. नेहरु, सरदार पटेल और राजाजी का विरोध करना पड़ा। परन्तु उनके सामने उस समय एक मात्र पवित्र लक्ष्य, दिल्ली राज्य प्राप्त करना था, ताकि अपनी

सरकार द्वारा दिल्ली प्रदेश का सर्वोपरि विकास किया जा सके। राज्य तो मिल गया, किन्तु सरकार बनने से सात दिन पहले दिल्ली के नागरिकों का यह सर्वप्रिय महापुरुष स्वर्ग सिधार गया।

लालाजी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। शुद्ध भारतीय, पक्का रंग, ऊँचा सा कद, सम्मोहक मुखमण्डल, भव्य ललाट, शुभ आंखो पर सफेद चश्मा, रस की निर्झरणी से युक्त अधरों पर सहज मुस्कान बिखरती थी। कोई भी भेंटकर्ता उनसे प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता था।

सरल सीधा स्वभाव, खान-पान कतई निरामिष, वेशभूषा में सादगी, खद्दर का जो व्रत सन् 1921 में धारण किया था उसे जीवन भर निभाया। धोती-कुर्ता, बंददार अचकन, शरद में शाल। अन्य आवश्यतायें भी थोड़ी व साधारण थीं। सार्वजनिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहने से दिनचर्या नियमित नहीं रह सकी, किन्तु प्रातः भ्रमण नियमित था।

देशबंधु एक ऐसे महापुरुष ये जिनका जन्म दूसरों के उपकार हेतु हुआ। उनके जीवन का सब से बडा आदर्श था-सेवा-सहायता। वे जन जन की सेवा में जुटे रहते थे। शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य सामाजिक संगठनों को उनका सहयोग व मार्गदर्शन मिला। गरीब उन्हें अपना प्रतिनिधि मानते थे। कोठी पर लोगों का तांता लगा रहता। बीमारी में शैय्या पर लेटे हुये माथे पर बर्फ की पट्टी, पास पड़े स्टूल पर फोन, डाक्टरों के लाख मना करने पर भी सेवा-सहायता के अवसर से चूकते नहीं थे। मानवीय संवेदन से हृदय भरा था। चरित्र की यह चारुता वे नई पीढी में भी देखना चाहते थे। अपने सात वर्ष के पत्र रमेशबंधु के जन्म दिन पर उन्होंने उसे उपहार दिया बस एक पत्र, जिस पर लिखा था:

'निस्वार्थ सेवा' लोकधर्म का मूल है अतिथ्य सत्कार में भी लाला देशबंधु का आचरण स्तुत्य था। कोई भी व्यक्ति ज्योंहि उनके पास पहुंचता, पहला प्रश्न करते-'अच्छे तो हो? पहले भोजन करलो, फिर बातें होंगी।' कितनी आत्मीयता थी सत्कार के इन शब्दों में।

लालाजी ने सैंकड़ों बेकार दुखी व्यक्तियों को जीविका साधन उपलब्ध कराये। पानीपत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बेरोजगार बड़े बुजुर्गों ने जीविका-दायिनी दिल्ली में उनकी सहायता से काम शुरु किया और सम्पन्नता के शिखर पर पहुँच गये। लाला जी ने लौकिक हानि उठाकर भी कष्ट ग्रस्तों की मदद की।

अपने अन्तर्गत काम करने वालों के प्रति उनका कोमल हृदय सौहार्द से भरा रहता था। घरेलू नौकर, तेज के चपड़ासी व अन्य कर्मचारियों से कभी डांट डपट नहीं की। होली के पर्व पर लाला जी उनके घर जाते, उन्हें आलिंगनबद्ध कर मिलते और रंग फैंकते।

वह सच्चे कर्मयोगी थे। जीवन-सूत्र के रूप में गीता का यहीं एक वाक्य चुना था—'कर्मण्येवाधिकारस्ते---।' विरासत में उन्हें भारी साधन या उन्नति की पृष्ठभूमि नहीं मिली। अपने श्रम, अपनी लगन और निरन्तर काम करने के संकल्प से वह महानता के ऊँचे स्थान पर पहुँच सके।

विमान दुर्घटना में निधन

देशबंधु अभी 50 वर्ष के थे कि 21 नवम्बर 1951 के दिन वे विमान दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गये। उन्हें अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में कलकत्ता जाना था। दक्षिण एयरवेज के जहाज़ ने रात्रि साढ़े ग्यारह बजे पालम से उड़ान भरी। कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर उतरना था। भारी धुंध छाई थी। कहीं कछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने समय का अनुमान लगाकर अदृश्य हवाई पटरी पर उतरना चाहा। उसी क्षण सिंगनल मिला कि वह भटका हुआ है। देर तक वह चक्कर लगाता रहा। उसका प्रयास था कि कहीं पर धुंध कम हो तो वह नीचे देख सके, परन्तु ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। नीचे उतरने का प्रयत्न करता हुआ जहाज समुद्र के किनारे पहुँच गया। पायलट को यह भी पता नहीं लगा कि नीचे घना जंगल है। तनिक सा नीचे होकर जहाज नारियल के वृक्ष में उलझा, उससे अगले वृक्ष से टकराया और फिर कितने ही वृक्षों को तोड़ता-फोड़ता चकनाचूर करता हुआ पूरी शक्ति के साथ भूमि पर जा गिरा। पेट्रोल का टैंक फटने से सारा जहाज जल गया। धमाका सुनकर पास के ग्रामीण लोग दौड़े आये। उन्होंने हवाई अड्डे पर दुर्घटना की सूचना दी। यहां लालाजी की अगवानी में आये हुये पत्रकार मौजूद थे। वे तुरन्त घटनास्थल पर पहुँचे। 'जागृति' के सम्पादक श्री हिमकर ने मृतकों की पहचान की। पता लगा कि लालाजी के साथ पत्रकार सिस्टा, पत्रकार ओ.पी. सिमुअल, दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारी आर.ए.ओबराय और सम्मेलन के सचिव लाजपतराय अमन भी मृतकों में थे।

'आर्यसमाज का इतिहास' भाग 6 पृष्ठ 42 पर पं. दत्तात्रेय तिवारी विद्यालंकार ने लिखा-'इस विमान में श्री देशबंधु गुप्ता को बहुत प्रयत्न

करने पर भी सीट नहीं मिल सकी। इसी विमान से श्री देवदास गांधी भी कलकत्ता जा रहे थे। पर किसी कारण वश वह रुक गये और श्री गुप्ता को उनकी सीट दे दी गई।' पत्रकार अधिवेशन में के. नरेन्द्र, युसूफ और जंगबहादुर सिंह पत्रकारों को भी जाना था, किन्तु उनके जरुरी काम उनके जीवन के रक्षक बन गये।

कलकत्ता प्रस्थान करने से थोड़ी देर पहले डॉ. युद्धवीरसिंह किसी प्रयोजन से उनके पास आये। उन्होंने लाला जी से बार-बार आग्रह किया कि वह अपनी यात्रा स्थगित कर दें; क्योंकि निकट भविष्य में हो रहे विधान सभा चुनाव की श्रृंखला में उनका दिल्ली में रहना जरुरी था। परन्तु लालाजी नहीं मानें। कहते रहे-'कल अधिवेशन का अन्तिम दिन है?। इसे मैं टाल नहीं सकता। आप निश्चिंत रहें मैं वीरवार को आ जाऊंगा।' दर असल, उनकी कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें चलने की प्रेरणा दी। होई है सोई जो राम रचि राखा।

कलकत्ता से फोन आया। विश्वबंधु सन्न रह गये। घर में कुहराम मच गया। क्षण भर में दुखद खबर सारे शहर में फैल गई। स्कूल, कॉलेज, बाजार, यातायात, सिनेमाघर, होटल, रेस्तरां, सब बंद हो गये। तमाम शहर में मातमी सन्नाटा छा गया। अन्तिम दर्शन के लिये विविध संस्थाओं के नेता व कार्यकर्ता, केन्द्र, पैप्सू तथा पंजाब के मंत्री, सांसद, विधायक और जन साधारण की भीड़ इतनी अधिक थी कि विशेष प्रबन्ध करने पड़े। दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों के आंखों में आंसू भर आये। कुछ कह रहे थे-'दिल्ली अनाथ हो गई।' पं. जवाहरलाल नेहरु ने शव पर फूल माला अर्पित की। उनकी सुपुत्री इन्दिरागांधी, मन्त्रियों और अन्य नेताओं ने श्रद्धा सुमन चढ़ाये। अन्तिम यात्रा के निमित्त फूलों से सजी एक लॉरी पर तिरंगे एवं ओ३म् ध्वज लगाकर शवयान का रूप दिया गया। घोर विलाप की दशा में परिजनों ने अर्थी कोठी से बाहर निकाली। हृदय-विदारक दृश्य था। अर्थी को शवयान पर रखने में अन्यों के साथ पं. नेहरु ने भी कंधा दिया।

श्री देशबन्धु गुप्ता स्वाधीनता संग्राम की एक महान विभूति के साथ-साथ एक महान समाजसेवी तथा कर्मयोगी थे। अग्रवाल समाज को ऐसी विभूति पर हमेशा गर्व रहेगा।

★★★★

लेखक परिचय

प्रो. पी. पी. सिंगला

जन्म् 10 अक्टूबर 1927 ई. को करनाल (हरियाणा) में हुआ। आपके पिता ला. मनीराम स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ला. देशबन्धु गुप्ता और ला. अचिन्त राम के साथ राष्ट्रीय संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1932 में जेल गये।

प्रो. सिंगला ने 1946 में मैट्रिक करके लाहौर डी.ए.वी. कॉलेज में प्रवेश लिया। पाकिस्तान बनने पर शरणार्थी शिविर 'वाह' जिला रावलपिंडी में सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता भाई महावीर के नेतृत्व में कई महीने वालंटियर रहे। भारत लौटने पर जालंधर, अम्बाला, करनाल आदि नगरों में अनेक शरणार्थी शिविरों का संचालन करने में योगदान दिया। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। गिरफ्तारी के बाद लगभग वर्ष भर हिमाचल की योल कैम्प जेल में बन्दी रहे। आप कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। 1992 में विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में श्रीराम मन्दिर अयोध्या के निर्माण हेतु कार सेवक रहे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के सक्रिय कार्यकर्ता। समाज सेवा के निमित्त आप ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किये गये।

आपने पंजाब विश्वविद्यलय से इतिहास विषय में एम.ए. किया। श्री सनातन धर्म कॉलेज में अठारह वर्ष विभागीय अध्यक्ष रहकर 1987 में सेवानिवृत्त हुये। शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के निमित्त आपको स्थानीय लायन्स क्लब ने सम्मानित किया।

कई साहित्यिक कृतियों का सृजन किया। जिनमें 'हरियाणा के हीरे' तथा 'महाराजा हेमचन्द्र विक्रमादित्य' पुस्तकें हरियाणा साहित्य अकादमी चण्डीगढ़ द्वारा प्रथम पुरस्कार से अलंकृत हुई हैं। साहित्य लेखन में आपकी मुख्य विधा है: अग्र-विभूतियों के जीवन से संबद्ध प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक एवं रोचक प्रसंग। ऐसे करीब दो सौ 'प्रसंग' देश की विभिन्न सामाजिक पत्रिकाओं-अग्रोहाधाम, अग्रवाल संदेश, अग्रकेसरी, अग्रोदक, वीर वीरांगना आदि में प्रकाशित हो चुके हैं। आप आकाशवाणी रोहतक के वार्ताकार हैं।

आजकल आप स्थानीय गोशाला में अवैतनिक कार्यकर्ता हैं।

सम्पर्कः-1105, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पानीपत-132103